आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

नवम्बर 2022

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/-₹

सामाजिक सौहार्द और हमारा मीडिया



Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 32 अंक 05 नवम्बर 2022

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब



कान्ति मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
धर्मों और दर्शनों की साझा विरासत
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
सत्य की सीधी राह
संपादन प्रभाग

सौंदर्य बोध 11
आर्थिक प्रगति के कारक
एस॰ अमीनुल हसन

मुख्य स्तंभ 13
सामाजिक सौहार्द और हमारा मीडिया
सुफ़ियान अहमद

विवेचना 17
पतन से पनपी नियमन की मांग
डॉ॰ प्रदीप कुमार

अभिमत 21
इस दुर्गति का दोषी कौन?
मुकेश भारद्वाज

समाधान 25
सामाजिक सौहार्द एक बुनियादी ज़रूरत
डॉ॰ क़ासिम रसूल इलियास

कविता 27
मत कहो, आकाश में कुहरा घना है
दुष्यंत कुमार

ज्वलंत 28
गर्भपात पर ग़लत रुख़
संपादन प्रभाग

समसामयिक 30
चिंताजनक गिरावट
जितेंद्र गौतम

दृष्टिकोण 32
अनुचित एवं तर्कहीन विरोध क्यों?
सुफ़ियान अहमद

आर्थिकी 35
मज़बूत अर्थव्यवस्था की कसौटी
प्रो॰ ज़फ़ीर अहमद

कहानी 39
मोटर के छींटे
मुंशी प्रेमचन्द

सेहत 42
गठिया रोग : दे सकता है कई अन्य बीमारियों को न्योता
संपादन प्रभाग

करियर 45
कंप्यूटर से जुड़े कोर्स करके बनाएं भविष्य
संपादन प्रभाग

आख़िरी पन्ना 48
नैतिक चेतना और भौतिकवादी दृष्टिकोण
मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां

मूल प्रश्न



संतुलन और मध्यमार्ग

धर्मों और दर्शनों की साझा विरासत



शिब्ली अरसलान

जीवन में संतुलन का बड़ा महत्व है, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या सामुदायिक व सामूहिक या फिर राष्ट्रीय जीवन। जिन्हें संतुलन समझ में नहीं आता, वे जीवन को भी नहीं समझ सकते। जो निर्जीव है, वो टेढ़ा-मेढ़ा कोई भी रूप ले सकता है, लेकिन जो जीवित है, उसकी सारी यात्रा ही असंतुलन से संतुलन की ओर चलती है। संतुलन एक ऐसा रवैया है, जिसके नतीजे में हमेशा अच्छाई और भलाई की उत्पत्ति होती है। इसके विपरीत असंतुलित रवैया, व्यक्ति, समाज और देश सबको बिगाड़ की राह पर ले जाता है।



संतुलन की एक सामान्य परिभाषा किसी भी विषय में दो विपरीत पहलुओं के मध्य एक ऐसे न्यायसंगत रवैये के तौर पर की जाती है, जिसमें किसी एक को नज़रअंदाज़ करके दूसरे को छूट न दी जाए। संतुलन को मध्य मार्ग, संयम और सम्भाव भी कहते हैं, जबकि अंग्रेज़ी में moderation कहा जाता है। इसके मुक़ाबले में विपरीतार्थक शब्द के तौर पर अतिवाद, अतिप्रतिक्रियावाद, इंतेहा-पसंदी, उग्रता आदि शब्दों का प्रयोग होता है।

संतुलन उन महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है जो तमाम या अधिकतर धर्मों, दर्शनों और विचारों में कॉमन है, उदाहरण के तौर पर प्राचीन यूनानी दर्शन और ईसाई व यहूदी धर्म में इसे Golden mean के तौर पर प्रदर्शित किया जाता है। बौद्ध दर्शन में इसे Majjhima-patipada (मध्य मार्ग) कहते हैं जबकि तमिल परम्परा में naduvu nilamai (Intermediate situation) कहा जाता है। इस्लाम में इसके लिए अरबी भाषा के शब्द 'एतेदाल' और 'वस्तियत' (middle way) का प्रयोग होता है। जिसमें 'अद्ल' अर्थात न्याय और संतुलन दोनों अर्थ निहित् हैं। यही वजह है कि बहुत सारे विद्वान इसे प्राकृतिक सिद्धांत और प्राकृतिक मूल्य के तौर पर पेश करते हैं,जिसकी महत्वता

पर सारे इन्सानों की सहमति है, किंतु ये भी सच्चाई है कि संतुलन की इतनी अहमियत होने के बावजूद एवं धर्मों और दर्शनों के बीच साझा बिंदु होने के बावजूद, इस संबंध में मानव इतिहास में बड़ी लापरवाही रही है।

इसका एक कारण तो मानव मनोविज्ञान है, इन्सान एक व्यक्ति के तौर पर हो या समाज की सतह पर, किसी एक तरफ़ उसका झुकाव रहता है और इस तरह संतुलित रवैये से उसकी जंग हमेशा रहती है। उदाहरण स्वरूप प्राचीनकाल से हमारे महान विचारक और दार्शनिक इस बिंदु पर उलझते रहे हैं कि व्यक्ति अहम है या समाज? अरस्तु ने व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना तो अफ़लातून ने समाज को, आज तक ये बहस हो रही। व्यक्ति केंद्रित और समाज केंद्रित दो अतिवादी दृष्टिकोण अस्तित्व में आ गए।

बात बहुत अकादिमिक और अधिक वैचारिक न हो, आइए मौजूदा हालात पर ग़ौर करते हैं। यदि हम सामाजिक फोरम और राजनीतिक पटल पर होने वाली बहसों पर ध्यान दें तो हम देखते हैं कि मौजूदा विकट स्थिति असंतुलित विचार और असंयमित मनोभाव, वैचारिक संकीर्णता और परिस्थितियों पर अल्प दृष्टि के परिणामस्वरूप पैदा होता है। सोशल मीडिया की बहसों को देखें, वैचारिक अतिवाद और असंतुलित भाव की प्रकाष्ठा है। राजनीतिक बहस, सिद्धांतों और मूल्यों से दूर 'मोदी बनाम मोदी विरोध' के संकीर्ण दायरे में जा फंसी है।

परिस्थितियों पर अल्प दृष्टि अतिप्रतिक्रियावाद पैदा करता है, जिसका आलम ये है कि एक ख़ेमे के निकट देश की हर समस्या की जड़ में मुसलमान और मुसलमानों का कथित तुष्टिकरण है तो दूसरे ख़ेमे की नज़र में आरएसएस और बीजेपी है, देश की सारी समस्याओं की अस्ल ज़िम्मेदार।

संतुलन उन महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक हैं जो तमाम या अधिकतर धर्मों, दर्शनों और विचारों में कॉमन हैं, उदाहरण के तौर पर प्राचीन यूनानी दर्शन और ईसाई व यहूदी धर्म में इसे Golden mean के तौर पर प्रदर्शित किया जाता हैं। बौद्ध दर्शन में इसे Majjhima-patipada (मध्य मार्ग) कहते हैं जबकि तमिल परम्परा में naduvu nilamai (Intermediate situation) कहा जाता हैं। इस्लाम में इसके लिए अरबी भाषा के शब्द 'एतेदाल' और 'वस्तियत' (middle way) का प्रयोग होता हैं। जिसमें 'अद्ल' अर्थात न्याय और संतुलन दोनों अर्थ निहित् हैं। यही वजह हैं कि बहुत सारे विद्वान इसे प्राकृतिक सिद्धांत और प्राकृतिक मूल्य के तौर पर पेश करते हैं,जिसकी महत्वता पर सारे इन्सानों की सहमति हैं, किंतु ये भी सच्चाई हैं कि संतुलन की इतनी अहमियत होने के बावजूद एवं धर्मों और दर्शनों के बीच साझा बिंदु होने के बावजूद, इस संबंध में मानव इतिहास में बड़ी लापरवाही रही हैं।

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोख से जन्मी महंगाई और बेरोज़गारी पर अत्यंत सरल और एकपक्षीय राजनीतिक कटाक्ष करके कितने ही 'बुद्धिजीवी' अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। अपराध और अमानवीय घटनाओं को मात्र क़ानून और व्यवस्था का मुद्दा समझना भी अल्प दृष्टि का मसला है जो असंतुलित विचार का द्योतक है।

अतः इस असंतुलन और अतिवाद से निकलने के लिए आवशयक है कि सबसे पहले, मुद्दों और समस्याओं पर व्यापक चिंतन हो, खुले मन के साथ चर्चा हो, मामले के सारे पक्षों पर निगाह डाली जाए, मीडिया रिपोर्टों के आधार पर हंगामा न खड़ा किया जाए। दूसरे, अति के मध्य न्यायसंगत पक्ष तक पहुंचने की कोशिश हो। तीसरे हर विषय में ज़रूरी नहीं है कि बीच का बिंदु ही संतुलित पक्ष हो, तर्क और संवेदना की रोशनी में मानवता के वृहद हित में संतुलित मार्ग की खोज की जाए।

यहां पर आवशयकता होती है, मानव प्रकृति बनाने वाले अर्थात ईश्वर के आदेशों से मार्गदर्शन लेने की,इसलिए कि जिसने हमारी फ़ितरत बनाई,वो वास्तव में संतुलित मार्ग और मध्य मार्ग का मार्ग दर्शन कर सकता है। ईश्वर का अंतिम संदेश क़ुआरान हमारे बीच मौजूद है। इस संबंध में भरपूर मार्गदर्शन के लिए ईश्वरीय ग्रंथ क़ुरआन को मुसलमानों का ग्रंथ न समझा जाए, बल्कि पूरी मानवता का मार्गदर्शक मान कर उसका अध्ययन किया जाए, उसे सीने से लगाया जाए और जीवन में उतारा जाए।

''किसी संप्रदाय की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर न उभारे कि तुम अद्ल (न्याय, मध्य मार्ग, संतुलन) से फिर जाओ।'' (क़ुरआन, 5:8)

■■


City maker
BUILDERS PVT.LTD
55, Maruti Lane, Near Handloom House,
Fort, Mumbai-400 001, Ph. : 22661438, 22675328



सत्य की सीधी राह

चिंतन



संपादन प्रभाग

धर्म का नाम लेकर कुछ स्वार्थी लोगों ने इतना अधर्म और अन्याय किया है कि बहुत से लोग अब धर्म के नाम से ही डरने लगे हैं, बल्कि धर्म ही को समाज में बहुत-सी ख़राबियों और आपसी नफ़रत और हिंसा का कारण मानने लगे हैं। यह भी सत्य है कि कुछ स्वार्थी लोगों ने धर्म की आड़ में अपना या एक वर्ग का वर्चस्व क़ायम करने और रखने के षड्यंत्रकारी प्रयास किए और उनके द्वारा समाज को ऊंचे-नीचे कई तबक़ों में बांटने और उनमें आपस में नफ़रत फैलाकर समाज को तोड़ने और अपने आपको मज़बूत करने का प्रयास आज तक जारी है।

यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इन्सानों को बांटने वाला, समाज को तोड़ने वाला, इन्सानों के बीच ऊंचे और नीचे का भेद करने वाला धर्म हो ही नहीं सकता। सच्चा धर्म (जो हमेशा से ही रहा है) इन्सानों को तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। आज बुरे लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, बुराइयों को फैलाने के लिए, अन्याय और अत्याचार करने वाले, नफ़रत फैलाने और समाज को बांटने वाले संगठित हैं। अतः समाज को बचाने एवं इसे सही दिशा में ले जाने के लिए अच्छे लोग, सच्चे धार्मिक लोग, धर्माचार्यों को संगठित होकर कम से कम उन मुद्दों पर समाज में जागृति का काम करना चाहिए जिन पर सबकी सहमति है।

विभिन्न धर्मों में कुछ आधारभूत मूल्य एवं पारलौकिक धारणाएं लगभग समान रूप से पाई जाती हैं। इस अद्भुत सृष्टि, अनंत ब्रह्मांड, आश्चर्यजनक मानव संरचना और सभी श्रेष्ठ चीज़ों में मौजूद

व्यवस्था पर विचार करने से यह सत्य स्पष्ट हो जाता है कि सारी सृष्टि का एक ही स्रष्टा है जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, अत्यंत दयावान और कृपाशील है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमेशा से है और जब सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी सिर्फ़ वही होगा।

वह ईश्वर हमारा जीवनदाता है। मृत्यु भी उसी के अधिकार में है। वह हम से इतना परिचित और निकट है जितने हम भी अपने आपके निकट और हम भी अपने आपसे परिचित नहीं। वह दयावान



ईश्वर हमारी हर चीज़ से अच्छी तरह परिचित है। यहां तक कि वह हमारे मन व मस्तिष्क में उठने वाले विचारों तक से परिचित है। वह हमारे इरादों और नियतों को भी अच्छी तरह जानता है। उस ईश्वर के समक्ष हम सबको मृत्यु के बाद एक दिन अवश्य हाज़िर होना है और उसके द्वारा दिए गए इस अमूल्य जीवन के एक-एक पल के एक-एक कर्म का हिसाब देना है।

उस दिन वह किसी पर भी ज़रा भी अन्याय नहीं करेगा। हरेक को उसके कर्मों के अनुसार बदला देगा जो लोग उस पर विश्वास रखते हुए उसके द्वारा दिखाए गए सन्मार्ग और मार्गदर्शन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे उन्हें वह स्वर्ग (जन्नत) में जगह देगा और जो इस जीवन में उसके मार्गदर्शन को छोड़कर अपने मन की इच्छाओं के ग़ुलाम बनकर रहे होंगे नरक (जहन्नम) के पात्र होंगे।

विभिन्न धर्मों में बिगड़े हुए रूपों में इन आधारभूत पारलौकिक धारणाओं का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने सारी मानवता के मार्गदर्शन के लिए अपने ईशदूतों एवं संदेष्टाओं के माध्यम से मार्गदर्शन के लिए जो संदेश दिया उसका मूल एक ही है।

यह सारी मानवजाति उस दयावान ईश्वर का परिवार है। जब ईश्वर एक है सारी मानवजाति एक है तो उसका संदेश अलग-अलग कैसे हो सकता है? उसकी दी हुई जीवन व्यवस्था एक ही हो सकती है। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि पूरी मानवजाति के लिए धर्म शुरू से एक ही था और एक ही है। हज़रत आदम (अलैहि.) से लेकर अंतिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) तक इस धरती पर एक लाख से अधिक ईशदूत आए और सभी ने ईश्वरीय आदेशों के आगे संपूर्ण समर्पण का रास्ता बताया। समर्पण के इसी रास्ते को अरबी भाषा में इस्लाम कहा जाता है।

बहुत सारे ईशदूत जिनके नाम पर लोगों ने अलग-अलग धर्म बना लिए, वे सभी ईश्वर के आगे समर्पण (यानी इस्लाम) ही का संदेश लेकर आए, यानी हज़रत इबराहीम (अलैहि.) हज़रत मूसा (अलैहि.) और हज़रत ईसा (अलैहि.), ये सभी इस्लाम के पैग़म्बर थे और हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) इस्लाम के सबसे अंतिम पैग़म्बर थे। कोई भी व्यक्ति उस वक़्त तक मुसलमान नहीं कहला सकता जब तक कि वह ईश्वर के तमाम पैग़म्बरों पर और उनके लाए हुए संदेश व तरीक़े पर विश्वास न करे। इस्लाम में चरित्र और नैतिकता का महत्व सर्वोपरी है।

चरित्र और नैतिकता का दिवालियापन ऐसा विषय है जिसे दूर किए बिना हमारी शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था, विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति, राजनीतिक एवं न्याय व्यवस्था ठीक हो

बहुत सारे ईशदूत जिनके नाम पर लोगों ने अलग-अलग धर्म बना लिए, वे सभी ईश्वर के आगे समर्पण (यानी इस्लाम) ही का संदेश लेकर आए, यानी हज़रत इबराहीम (अलैहि.) हज़रत मूसा (अलैहि.) और हज़रत ईसा (अलैहि.), ये सभी इस्लाम के पैग़म्बर थे और हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) इस्लाम के सबसे अंतिम पैग़म्बर थे। कोई भी व्यक्ति उस वक़्त तक मुसलमान नहीं कहला सकता जब तक कि वह ईश्वर के तमाम पैग़म्बरों पर और उनके लाए हुए संदेश व तरीक़े पर विश्वास न करे। इस्लाम में चरित्र और नैतिकता का महत्व सर्वोपरी है ।

ही नहीं सकती। चरित्र और नैतिकता के आधार के बिना हमारी विज्ञान और तकनीकी प्रगति फ़ायदे से ज़्यादा नुक़सान पहुंचाएगी। देश को मज़बूत और सुदृढ़ बनाने का सपना मज़बूत नैतिक आधार के बिना पूरा होना संभव नहीं है। अगर हम भौतिक समृद्धि के महल को मज़बूत नैतिक आधार पर बनाने का प्रयास करें तो विश्वास है कि हम पूरी दुनिया के नायक एवं मार्गदर्शक बन जाएंगे। मगर यह मज़बूत नैतिक आधार एक ईश्वर पर विश्वास, उसके द्वारा भेजे गए मार्गदर्शन ईश्वर के सामने जवाबदेही का पूरा भरोसा, इस जीवन के बाद पारलौकिक जीवन पर यक़ीन और उस दयावान ईश्वर की ओर से पूरी मानव जाति के लिए दी गई जीवन व्यवस्था को अपनाए बिना संभव नहीं है।

हम सबको मिलकर ऐसे प्रयास करने और वातावरण तैयार करने की ज़रूरत है कि हर प्रकार के पूर्वाग्रह और पक्षपात से रहित होकर खुले दिल और दिमाग़ से यह जानने का प्रयास किया जाए कि हम सबके स्रष्टा, दयावान ईश्वर का मार्गदर्शन क्या है? सत्य तक पहुंचने की राह में जितने परदे, रुकावटें और दूरियां हैं उसको हटाने की कोशिश करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। हम सब में बहुत सारी समानताएं और बहुत सारे मूल विषयों पर सहमति होते हुए भी

सच्चा धर्म (जो हमेशा से ही रहा है) इन्सानों को तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। आज बुरे लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, बुराइयों को फैलाने के लिए, अन्याय और अत्याचार करने वाले, नफ़रत फैलाने और समाज को बांटने वाले संगठित हैं। अतः समाज को बचाने एवं इसे सही दिशा में ले जाने के लिए अच्छे लोग, सच्चे धार्मिक लोग, धर्माचार्यों को संगठित होकर कम से कम उन मुद्दों पर समाज में जागृति का काम करना चाहिए जिन पर सबकी सहमति है।

अजनबियत और दूरियां पाई जाती हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण हमारे बीच संवाद का अभाव है और इसका लाभ उठाकर स्वार्थी और धर्म विरोधी लोगों ने धर्म का नाम लेकर हमारी दूरियों को बढ़ाने का प्रयास किया।

इसलिए यह भी आवश्यक है कि हम सब आपस में मिलने-जुलने, एक दूसरे की आस्थाओं और विचारों को जानने-समझने, साहित्य के आदान-प्रदान और समाज की बुराइयों और मूलभूत समस्याओं के हल के लिए मिल-जुलकर प्रयास करने का वातावरण तैयार करें ताकि सत्य तक पहुंचना सबके लिए आसान हो जाए।

सच्चे धार्मिक लोगों एवं धर्माचार्यों के बीच सद्भावनापूर्ण संवाद से भ्रम और अविश्वास दूर होगा, आपसी विश्वास बढ़ेगा, निराशा की जगह आशा का वातावरण पैदा होगा, हमारी दूरियां कम होंगी और निकटता बढ़ेगी। हम असत्य और अधर्म के अंधेरों से निकलकर सत्य की रोशनी की तरफ़ जाएंगे। ईश्वर हम सबकी सहायता करे और हमें अपना आज्ञाकारी बना ले, ताकि हम सब इस जीवन में भी सफल हों और वास्तविक और अनन्त पारलौकिक जीवन में भी हमें सफलता मिले। हमें अपने स्रष्टा की निकटता मिल सके और वह हम से राज़ी एवं प्रसन्न हो। ■■

''जन्नत में वह व्यक्ति प्रवेश न करेगा जिसके दिल में कण भर भी घमंड होगा।''

एक व्यक्ति ने कहा कि आदमी पसन्द करता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो और उसका जूता अच्छा हो। आप (सल्ल.) ने कहा, ''अल्लाह सौंदर्यवान है और सौंदर्य उसे प्रिय है। अहंकार तो सत्य के मुक़ाबले में इतराने और लोगों को हेय दृष्टि से देखने का नाम है।''

(हदीस : मुस्लिम)

ISLAMIC CENTRE VELLORE

आर्थिक प्रगति के कारक



सौंदर्य बोध



एस. अमीनुल हसन

सुनियोजित मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू उसकी आर्थिक प्रगति है। मनुष्य के जीवन में उसकी आर्थिक परिस्थितियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आमतौर पर हमें यह बता दिया गया कि आर्थिक लिहाज़ से मज़बूत होने के लिए ज़्यादा दौड़-धूप करना मुनासिब नहीं है। यह संतोष और संयम के विरुद्ध है। हमें ईश्वर पर भरोसा करके बैठना चाहिए और जो कुछ भी हमारे भाग्य में लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा दौड़-धूप करने की ज़रूरत नहीं है। यह धारणा ग़लत है। भाग्य में क्या लिखा है यह हम नहीं जानते, लेकिन हम मेहनत करने और अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम हैं।

एक समझदार आदमी को चाहिए कि वह आर्थिक तौर ऐसी योजना बनाए कि आगे चलकर उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय बचे ताकि वह परिवार, समाज और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। आर्थिक दौड़-धूप की उलझनों में जीवन की अंतिम सांस तक फंसे रहना अक़लमंदी नहीं है। अभिप्राय यह कि आर्थिक गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीक़े से अंजाम दिया जाए और आर्थिक लक्ष्यों को समय रहते हासिल किया जा सके ताकि व्यक्ति समाज एवं धर्म की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा सके।

आमतौर पर बहुत से लोग आर्थिक योजनाएं नहीं बनाते। आज व्यक्ति के लिए विभिन्न आर्थिक स्रोतों का होना आवश्यक है। यदि आप नौकरी करते हैं तो साथ में छोटा-मोटा व्यापार भी कर सकते हैं। आप रेंटल इनकम (किराये से

आय) भी पैदा कर सकते हैं। आप आय के कुछ अन्य स्रोत और साधन भी पैदा कर सकते हैं। उद्योगपति हैं तो इस समय जिस स्तर का आपका व्यापार है उससे आगे के स्तर की ओर बढ़ना चाहिए। यदि आप काफ़ी बड़े स्तर के उद्योगपति या व्यापारी हैं, तो आपको निर्यात के बारे में सोचना चाहिए।



स्त्री और पुरुष दोनों के जीवन में आर्थिक प्रगति होना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को भी आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहिए। यदि उनके पास किसी भी रूप में धन मौजूद है तो उसका सुनियोजित ढंग से निवेश किया जाना चाहिए। जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो उसका जीवन सम्मान एवं गरिमापूर्ण होता है। देने वाला हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाला हाथ हमेशा नीचे होता है।

आर्थिक रूप से मज़बूत व्यक्ति समाज के निर्माण में अच्छी भूमिका निभा सकता है। जो समाज को कुछ नहीं देते, समाज भी उनकी परवाह नहीं करता।

एकाग्रता के साथ धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों को अंजाम देने के लिए यह ज़रूरी है कि व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएं। इसलिए आर्थिक रणनीति एवं योजनाओं का बनाया जाना बेहद ज़रूरी है। आप एक पैमाने के आधार पर 1 से लेकर 10 तक देखें कि आज आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। मान लीजिए कि आज आपकी आर्थिक स्थिति का स्तर साढ़े चार पर है और आपको अगले छह महीनों में पांच के स्तर पर पहुंचना है तो अच्छे से इसकी योजना बनाइए।



आपके पास जो कुछ भी संसाधन या रक़म मौजूद है उसका निवेश कब, कहां और कैसे किया जाए? इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करें। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जितनी हमारी चादर हो हम उतना ही पैर फैलाएं और फ़ुज़ूलख़र्ची से बचें। बहुत से लोगों का हाल यह है कि यदि उनकी आय पचास हज़ार रुपये है तो वे महीने में सत्तर हज़ार रुपये ख़र्च करते हैं। समझदारी यह है कि यदि पचास हज़ार की आमदनी है तो चालीस हज़ार ख़र्च करें और दस हज़ार बचाएं। आड़े वक़्तों के लिए बचत करना बेहद ज़रूरी है। अनुभव बतातें हैं कि हमेशा ख़ुशहाली नहीं रहती। ख़ुशहाली के समय में जो कुछ बचा लिया जाएगा वो आड़े वक़्त में काम आएंगे।

जब तक हम अपने जीवन में योजनाबद्ध तरीक़े से आर्थिक गतिविधियों को नहीं अपनाएंगे। तब तक हम सुकून भरा जीवन और धर्म एवं समाज के लिए एकाग्र होकर कार्य नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आर्थिक नियोजन के जो वैध और उचित पैमाने हैं उन पैमानों के आधार पर अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए योजनाएं बनाई जाएं। ■■

सामाजिक सौहार्द और हमारा मीडिया



मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

आज इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह हमारे देश के अधिकतर ख़बरिया टीवी चैनल एवं डिजिटल समाचार के माध्यम एक ख़ास मक़सद से ख़बरों का चुनाव और उन पर बहसें आयोजित करते हैं। इन बहसों के माध्यम से वे समाज को क्या दे रहे हैं? यह सवाल भी इतना जटिल नहीं है कि इसका जवाब एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति न खोज सके। पिछले दो सालों में यह तीसरी बार है जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सख़्त लहजे में हेट स्पीच और टीवी चैनलों के रवैये को लेकर टिप्पणी की। सर्वोच्च न्यायालय ने गत माह समाचार चैनलों और सोशल मीडिया का हवाल देते हुए कहा कि यह नफ़रत भरे बयान हमारे सामाजिक ताने-बाने के लिए ज़हर हैं और इसके लिए एक नियामक तंत्र बनाने की ज़रूरत है। न्यायालय ने कहा कि घृणा भाषण मुख्य धारा के मीडिया चैनलों या सोशल मीडिया के ज़रिये आ रहा है।

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ऐसे देशों में समाचार माध्यमों का मक़सद निरपेक्ष और तटस्थ रहकर सूचनाएं परोसना है, न कि किसी दलगत भावना से काम करना, लेकिन वे इस तक़ाज़े को भूल गए या जान-बूझकर भुला चुके हैं। इसकी वजहें भी छिपी नहीं हैं। सत्तारूढ़ दल, जिसके पास क़ानूनों को पालन कराने का दायित्व है, उसी के नेता सार्वजनिक मंचों से नफ़रत फैलाने वाले बयान देने से नहीं हिचकते।

टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर नफ़रत फैलाने वाली प्रस्तुतियों और पक्षपातपूर्ण बहसें परोसे जाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा लंबे समय से आपत्ति दर्ज की जाती रही है। आज के समय में धार्मिक सद्भावना को बढ़ाने में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन, यह चिंता का विषय है कि हो रहा है ठीक इसके उलट। टीवी चैनलों पर हर शाम मंच सजा दिया जाता है। प्रवक्ताओं और तथाकथित विशेषज्ञों को आमने-सामने बिठा दिया जाता है। फलां बनाम फलां का टैग लगा दिया जाता है और बीच में होता है आग के गोले का चिन्ह। इन कार्यक्रमों के नाम भी बड़े आक्रामक ढंग के होते हैं। जैसे दंगल, ताल ठोंक के, आर-पार और कुरुक्षेत्र आदि-आदि।

बीते कुछ हफ़्तों की यदि मीडिया बहसों पर नज़र डालें तो...इंग्लैंड में भी हो गया हिन्दू मुसलमान, साध्वी ऋतम्भरा के प्रवास को अनुमति नहीं मिली। पीएफ़आई देश में आतंकवाद फैला रहा है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे, टीवी चैनलों के लिए देश की सबसे बड़ी ख़बर बने। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद की याचिका को सुनवाई की अनुमति मिलने पर ख़बरिया चैनलों को कई हफ़्तों का मसाला मिल गया था। इसी प्रकार हिजाब, सर तन से जुदा, लव जिहाद, यूपीएससी जिहाद और 80 बनाम 20 जैसे व्यर्थ के मामलों को ख़ूब उछाला गया। ये तो केवल उदाहरण मात्र हैं। इसके अलावा बाबरी मस्जिद केस और कोरोना काल के दौरान तब्लीग़ी जमाअत प्रकरण को लेकर मीडिया का प्रस्तुतीकरण कितना आक्रामक था यह बताने की आवश्यकता नहीं है।



दरअस्ल, आज मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है।

सवाल उठता है कि हमारे देश की मीडिया के सामने उठाने के लिए क्या केवल सांप्रदायिक मुद्दे ही बचे हैं? महंगाई, बेरोज़गारी, क़ानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे ज़मीनी मुद्दे क्यों हमारी मुख्यधारा की मीडिया के विमर्श से बाहर होते जा रहे हैं? शायद इसलिए कि जन-सरोकार से जुड़े ऐसे मुद्दे हमारी मौजूदा केंद्र और राज्य सरकारों को सूट नहीं करते। किसानों की परेशानियां, मज़दूरों की आत्म-हत्याएं, रुपये और अर्थव्यवस्था की गिरती हालत, टीवी चैनलों पर आख़िर क्यों इनकी सुगबुगाहट मात्र भी सुनाई नहीं दती?

दरअस्ल, आज मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है। इसके ज़रिये न केवल सामाजिक और धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, बल्कि राजनीतिक स्वार्थ के लिये भी ग़लत जानकारियां घर-घर परोसी जा रही हैं। इससे समाज में हिंसा को बढ़ावा तो मिल ही रहा है साथ ही लोगों की सोच को भी नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। आज यह कहना ग़लत नहीं होगा कि सामाजिक सौहार्द के सामने मीडिया और सोशल मीडिया एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा

है। विश्वसनीयता और भरोसे के मामले में भी मीडिया की भूमिका संदिग्ध होती जा रही है।

सवाल उठता है कि मीडिया की इस दुर्गति का दोषी कौन है? क्या केवल सरकार ही इसके लिए ज़िम्मेदार है? या सरकार, मीडिया और दर्शक तीनों ही इस दुर्गति के दोषी हैं? क्या मीडिया जो दिखा रहा है, दर्शक वर्ग वही देख रहा है या दर्शक जो देखना चाहता है मीडिया वही दिखा रहा है? मीडिया अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है या शासन की अन्य शक्तियां मीडिया का दुरुपयोग कर रही हैं? यदि



इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के प्रयास किए जाएं तो मीडिया और पत्रकारिता का स्पष्ट भेद भी सामने आ जाएगा।

आज मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिये ऐतिहासिक तथ्यों और घटनाओं को भी तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। मीडिया का यह रवैया ऐसा है जिसकी अब अनदेखी नहीं की जा सकती। ग़लत विचारों के प्रस्तुतीकरण और उसे साझा करने से देश की आंतरिक सुरक्षा ख़तरे में पड़ जाती है। मीडिया की मौजूदा भूमिका और सार्वजनिक मंचों से अभिव्यक्त विचारों से समाज में कटुता की भावना का प्रसार हो रहा है। अल्पकालिक तौर पर इसका लाभ या नुक़सान पार्टी विशेष को होता दिख रहा है, लेकिन इसे यहीं तक सीमित रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे बहुलतावादी संस्कृति वाले देश पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए।

आज मीडिया जो नफ़रत के बीज बो रहा है इसकी फ़सल अंततः देश और समाज को ही काटनी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ताज़ा टिप्पणी में कहा है कि इससे राजनीतिक दल पूंजी बनाते हैं और टीवी चैनल उनके लिए एक मंच का काम करते हैं।

अदालत ने इसके लिए एक नियामक तंत्र बनाने पर भी ज़ोर दिया है। मगर सरकार अगर ऐसा तंत्र बनाने की पहल करती है, तो उसका स्वरूप क्या होगा, यह देखने की बात होगी। मीडिया संस्थानों के प्रति सरकार की दृष्टि को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।

समाचार माध्यम अभी तक स्वनियमन के तहत काम करते रहे हैं, अब अगर उन पर शिकंजा कसने के लिए किसी तंत्र की ज़रूरत रेखांकित की जा रही है, तो उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि आख़िर वे इस तरह कितने दिन तक ऐसी पत्रकारिता करते रहेंगे। न्यायालय की टिप्पणी बताती है कि मीडिया को आत्म अनुशासन में रखने के लिए बने संगठन भी अपनी भूमिका निभाने में असफल रहे हैं। यह चिंता की बात है।

सवाल उठता है कि मीडिया की इस दुर्गति का दोषी कौन है? क्या केवल सरकार ही इसके लिए ज़िम्मेदार है? या सकार, मीडिया और दर्शक तीनों ही इस दुर्गति के दोषी हैं? क्या मीडिया जो दिखा रहा है दर्शक वर्ग वही देख रहा है या दर्शक जो देखना चाहता है मीडिया वही दिखा रहा है? मीडिया अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है या शासन की अन्य शक्तियां मीडिया का दुरुपयोग कर रही हैं?यदि इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के प्रयास किए जाएं तो मीडिया और पत्रकारिता का स्पष्ट भेद भी सामने आ जाएगा।

आज मीडिया जो नफ़रत के बीज बो रहा इसकी फ़सल अंततः देश और समाज को ही काटनी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ताज़ा टिप्पणी में कहा है कि इससे राजनीतिक दल पूंजी बनाते हैं और टीवी चैनल उनके लिए एक मंच का काम करते हैं। अदालत ने इसके लिए एक नियामक तंत्र बनाने पर भी ज़ोर दिया है। मगर सरकार अगर ऐसा तंत्र बनाने की पहल करती है, तो उसका स्वरूप क्या होगा, यह देखने की बात होगी। मीडिया संस्थानों के प्रति सरकार की दृष्टि को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।

क्योंकि मीडिया की स्वायत्तता उसकी सबसे बड़ी ताक़त रही है। अगर भविष्य में कोई नियामक संस्था बनाई जाती है तो परोक्ष रूप से ही सही, उसकी आज़ादी प्रभावित होगी। दूसरी तरफ़ तमाम आलोचनाओं के बावजूद मीडिया का एक तबक़ा 'जो लोग देखना चाहते हैं, वही हम दिखाते हैं' की आड़ लेकर नफ़रत भरे कार्यक्रमों को दिखाते हैं।

ऐसे में बेहतर होगा कि मीडिया चैनल ख़ुद ही अपने लिए आचार संहिता बनाएं। ताकि सरकार अपने बनाए नियमों के अनुसार मीडिया को हांकने का काम न कर सके। 'जांच और संतुलन' का कार्य स्वयं उसको ही करना होगा, इसी में सबका का भला है।

किसी भी लोकतांत्रिक समाज और देश की सबसे बड़ी ख़ासियत यह होती है कि वहां वैचारिक सहमति



और असहमति को अभिव्यक्त करने की आज़ादी एक अधिकार के रूप में स्वीकार्य हो, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल ग़लत तरीक़े से न हो यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी सबसे पहले उसी की है जो अपने इस अधिकार का प्रयोग कर रहा हो।

यह भी सुनिश्चित किया जाना बेहद ज़रूरी है कि प्रजातंत्र द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं एवं अधिकारों का इस्तेमाल कहीं प्रजातंत्र को ही समाप्त करने के लिए न होने लगे। दूसरे शब्दों में चुनौती यही की प्रजातांत्रिक व्यवस्था की चहारदीवारी में रहते हुए घृणा फैलाने वाली विचारधाराओं से किस तरह निपटा जाए ताकि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उसका इस्तेमाल प्रजातंत्र में ही पलीता लगाने के लिए न कर सकें।

■■

"अगर आदम की सन्तान के पास माल से भरी दो घाटियां भी हों तो उसे तीसरी की इच्छा और तलाश होगी। आदम की सन्तान के पेट को सिर्फ़ मिट्टी ही भरती है, और अल्लाह तौबा करने वाले की तौबा स्वीकार करता है।"

(हदीस : बुख़ारी)

with best compliment from

Syed Hashim Ali [Hyderabad]



पतन से पनपी नियमन की मांग



विवेचना



डॉ. प्रदीप कुमार

मीडिया एक स्वस्थ लोकतंत्र को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे जनहित का संरक्षक और लोगों के बीच के सेतु के रूप में देखा जाता है। यह दुनिया भर में चल रही विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और अन्य गतिविधियों के बारे में लोगों को जागरूक करता है। यह एक दर्पण की तरह जीवन के कड़वे सत्य और कठोर वास्तविकताओं को दिखाता है। राजनीतिक दृष्टि से भी मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। नीति सुधारों, भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों के कारनामों और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करने में भी मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मीडिया शासन व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह एवं नागरिकों के अनुकूल बनाने में मदद करता है।

एक लोकतांत्रिक देश में आम तौर पर मीडिया की तीन प्रमुख ज़िम्मेदारियां हैं-पहला, सत्तारूढ़ लोगों पर कड़ी नज़र रखना। दूसरा, लोगों को महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना और तीसरा, केवल निष्पक्ष तथ्यों को उजागर करना। दुर्भाग्यवश, आज हमारा मीडिया ज़िम्मेदार पत्रकारिता पर ध्यान केंद्रित न करके खुले तौर से पेड न्यूज़ और घटिया पत्रकारिता को बढ़ावा दे रहा है। यह और भी ज़्यादा दुखद है कि भारत में मीडिया अब कुछ व्यापारियों और राजनीतिक हितों के नियंत्रण में आ गया है। इसलिए सामाजिक हितों को व्यापारिक और राजनीतिक हितों के नीचे दबाया जा रहा है। कहना ग़लत न होगा की आजकल मीडिया हाउस का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की सेवा नहीं, बल्कि अपने लिए अधिक से अधिक धन कमाना है। इतना ही नहीं बल्कि मीडिया को ग़लत तरीक़े से प्रयोग करके लोगों के बीच नफ़रत और विश्वास बढ़ाने की जगह संदेह पैदा किया जाता है।

बढ़ते व्यवसायीकरण के कारण

मीडिया में एक-दूसरे के प्रति कड़ी प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई है। बढ़ते हुए व्यापार, व्यवसायीकरण, पेड न्यूज़ और पत्रकारों और मीडिया घरानों में नैतिक मूल्यों के निरंतर पतन ने मीडिया नियमन के मुद्दे को महत्वपूर्ण बना दिया है। जानकारों के अनुसार, पेड न्यूज़ एक व्यापार है, जिसे मीडिया हाउस के मालिक चलाते हैं। अब सब कुछ कॉर्पोरेट के हवाले है। किसी भी बड़े मीडिया हाउस के बोर्ड ऑफ़ मेम्बर्स को देखें तो सब में बड़े व्यापारी मौजूद हैं। पहले हमने शिक्षा का व्यापारीकरण किया फिर चिकित्सा का और उसके बाद खेल का। अब मीडिया का व्यापारीकरण हो रहा है।

पिछले काफ़ी समय से मीडिया के नियमन को लेकर आवाज़ें उठ रहीं हैं। परन्तु मीडिया और पत्रकारिता दो अलग-अलग चीज़ें हैं, मीडिया बिजनेस है परन्तु पत्रकारिता नहीं। आमतौर पर पत्रकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) का आश्रय लेते हैं और आत्म नियमन पर ज़ोर देते हैं।

पिछले कुछ वर्षों से देश के प्रमुख व्यक्तियों और नागरिक संगठनों की ओर से प्रिंट प्रसारण और डिजिटल मीडिया से संबंधित सभी विषयों पर एक नियामक तंत्र की मांग की जा रही है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक बिना किसी निष्कर्ष के बहस की जा रही है, क़ानूनी रिपोर्टिंग अथवा विचाराधीन मामलों पर सितम्बर 2012 में सहारा इंडिया सेबी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के लिए कोई भी दिशा-निर्देश देने के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पत्रकारों को समझाया कि वह अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करें।

मीडिया के नियमन के लिए मौजूदा निकाय जैसे पीसीआई (प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया) जोकि एक विधिक प्राधिकरण है और समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण जोकि एक स्व-नियामक संगठन है, मीडिया से संबंधित



मानक जारी करते हैं जो कि दिशा-निर्देश के रूप में होते हैं। पीसीआई के पास पत्रकारिता के आदर्शों के उल्लंघन और कदाचार के मामलों में संपादक या पत्रकार के ख़िलाफ़ शिकायत स्वीकार करने का अधिकार है। जिसके पश्चात वह मामलों की जांच करता है। जांच के दौरान वह गवाहों को बुला सकता है, रिकार्ड की कॉपियों की मांग कर सकता है, सबूत हासिल कर सकता है और अख़बार, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार

एक लोकतांत्रिक देश में आम तौर पर मीडिया की तीन प्रमुख ज़िम्मेदारियां हैं-पहला, सत्तारूढ़ लोगों पर कड़ी नज़र रखना। दूसरा, लोगों को महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना और तीसरा, केवल निष्पक्ष तथ्यों को उजागर करना। दुर्भाग्यवश, आज हमारा मीडिया ज़िम्मेदार पत्रकारिता पर ध्यान केंद्रित न करके खुले तौर से पेड न्यूज़ और घटिया पत्रकारिता को बढ़ावा दे रहा है। यह और भी ज़्याद दुखद है कि भारत में मीडिया अब कुछ व्यापारियों और राजनीतिक हितों के नियंत्रण में आ गया है। इसलिए सामाजिक हितों को व्यापारिक और राजनीतिक हितों के नीचे दबाया जा रहा है। कहना ग़लत न होगा की आजकल मीडिया हाउस का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की सेवा नहीं बल्कि अपने लिए अधिक से अधिक धन कमाना है।



समय की मांग यह है कि मीडिया की विश्वसनीयता और जवाबदेही बढ़ाई जाए। एक लोकतांत्रिक संस्था के रूप में मीडिया की विश्वसनीयता तभी बढ़ेगी जब वह जनता के प्रति जवाबदेह होगी, अपनी ग़लतियां स्वीकार करेगी और पत्रकारिता के नैतिकता मूल्यों का पालन करेगी। मीडिया की स्वतंत्र निगरानी और पत्रकारिता की समीक्षा के लिए प्रभावी उपायों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

को चेतावनी भी जारी कर सकता है। साथ ही पीसीआई जांच के विवरण को प्रकाशित करने की आज्ञा भी समाचार पत्रों को दे सकता है। पीसीआई का निर्णय अंतिम होता है और इस के ख़िलाफ़ उच्च न्यायालयों में अपील नहीं की जा सकती, लेकिन पीसीआई की शक्तियां दो तरह से प्रतिबंधित हैं। पहला, जारी दिशा-निर्देश को लागू करने का उनका अधिकार सीमित है। उल्लंघन के मामलों में वह समाचार पत्रों, एजेंसियों, संपादकों और पत्रकारों को दंडित नहीं कर सकता।

दूसरा, पीसीआई प्रेस के कामकाज का बस ऊपरी निरीक्षण कर सकता है। वह समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और प्रिंट मीडिया पर न तो मानक लागू कर सकता है, और न ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे–रेडियो, टीवी और इंटरनेट की समीक्षा कर सकता है।

इसी प्रकार देश में निजी टीवी चैनलों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह एनबीए (न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन) के पास यह अधिकार है कि किसी भी उल्लंघन के ख़िलाफ़ वह चेतावनी दे सके और उसके प्रसारण को अस्वीकार कर सके और साथ ही 1 लाख रुपये तक की राशि का जुर्माना लगा सके। ऐसा ही एक और संगठन प्रसारण संपादकों का एसोसिएशन है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने विज्ञापन से संबंधी सामग्रियों पर दिशा निर्देश जारी किया है, लेकिन यह सारे संगठन समझौतों के माध्यम से काम करते हैं और इनके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। वर्तमान में ज़्यादातर मीडिया आत्म नियमन के अनुसार ही कार्य करते हैं। समय की मांग यह है कि मीडिया की विश्वसनीयता और जवाबदेही बढ़ाई जाए। एक लोकतांत्रिक संस्था के रूप में मीडिया की विश्वसनीयता तभी बढ़ेगी जब वह जनता के प्रति जवाबदेह होगी, अपनी ग़लतियां स्वीकार करेगी और पत्रकारिता के नैतिकता मूल्यों का पालन करेगी। मीडिया की स्वतंत्र निगरानी और पत्रकारिता की समीक्षा के लिए प्रभावी उपायों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ■■

(लेखक 'विवेकानंद कॉलेज ऑफ़ लॉ' अलीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं)

"ज़मीन और आसमानों
में जो कुछ भी है अल्लाह का है।
और जो (फ़रिश्ते) उसके पास हैं वे न
अपने को बड़ा समझकर उसकी बन्दगी
से मुंह फेरते हैं और न दुखी होते हैं।
रात और दिन उसकी तसबीह करते
रहते हैं, दम नहीं लेते।"

(क़ुरआन, 21:19)

with best compliment from

Saaj Traders
(GOA)

इस दुर्गति का दोषी कौन ?

अभिमत



मुकेश भारद्वाज



एक बार खुशवंत सिंह से एक नए पत्रकार ने सवाल पूछा। पत्रकार ने पूछा- महोदय, जब राजनेता हमें प्रेस कांफ्रेंस में बुलाते हैं तो हमारा न्योता पांच सितारा होटलों में होता है, लेकिन जब हमें वापसी में तोहफ़े देते हैं तो उसमें बहुत साधारण से छह गिलास या सस्ता-सा थर्मस होता है। खुशवंत सिंह ने जवाब दिया-नेता तुम्हें अपनी हैसियत के हिसाब से बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें भी वहीं खाना होता है। तोहफ़े तुम्हारी हैसियत के हिसाब से देते हैं, क्योंकि तुम्हें उन्हें लेकर अपने घर जाना होता है।

पहले जो औकात तोहफ़े और थर्मस देकर बताई जाती थी अब उसका तरीक़ा अलग हो गया है। पहले कम से कम नेता अपनी हैसियत वाली जगह में पत्रकारों को आने तो देते थे, लेकिन अब वैसी हर जगह पत्रकारों की हैसियत से बाहर की मान ली गई है जहां नेताओं का काम-धाम का विस्तार होता है। चाहे सेंट्रल विस्टा हो या नेताओं की विदेश यात्रा, हर जगह से पत्रकार-दीर्घा ख़त्म कर दी गई है।

नेता अपने साथ दौरों में पत्रकार को लेकर जाएंगे नहीं, और उनके पीछे-पीछे अपने ख़र्चे पर वही पत्रकार जा सकते हैं जिनकी हैसियत बहुत ज़्यादा हो, और वैसे सौ में से एक ही होते हैं। इस मायूस पत्रकारिता की दोषी क्या वो सरकार है, जिसने यह साबित करने की ठान ली है कि इन पत्रकारों को उसकी ज़रूरत है, उसे पत्रकारिता की ज़रूरत नहीं है। भीड़ की भाषा में कहें तो सरकार ने पत्रकारों को उनकी औकात बताने की ठानी है।

पत्रकारिता को कोने में दुबकाने का काम किसी एक का नहीं है। पहली तो

पत्रकारिता को कोने में दुबकाने का काम किसी एक का नहीं है। पहली तो ज़िम्मेदार वह सरकार है जो पत्रकारों का भरोसा जीत कर सत्ता में आई। पत्रकारिता ने विकल्प-विकल्प का शोर शुरू किया और जनता भी राग विकल्पगान के साथ हो गई, लेकिन, नए सत्ताधारी को जल्द यह एहसास हो गया कि आज यह पत्रकारिता हमारी सत्ता का ताजमहल बना सकती है तो कभी किसी और की सत्ता का भी ताजमहल खड़ा हो सकता है। इससे तो अच्छा है कि इन कारीगरों के हाथ ही काट दिए जाएं ताकि इनके ज़रिये आगे कोई और ताजमहल खड़ा होने का ख़तरा ही ख़त्म हो जाए।

ज़िम्मेदार वह सरकार है जो पत्रकारों का भरोसा जीत कर सत्ता में आई। पत्रकारिता ने विकल्प-विकल्प का शोर शुरू किया और जनता भी राग विकल्पगान के साथ हो गई, लेकिन, नए सत्ताधारी को जल्द यह एहसास हो गया कि आज यह पत्रकारिता हमारी सत्ता का ताजमहल बना सकती है तो कभी किसी और की सत्ता का भी ताजमहल खड़ा हो सकता है। इससे तो अच्छा है कि इन कारीगरों के हाथ ही काट दिए जाएं ताकि इनके ज़रिये आगे कोई और ताजमहल खड़ा होने का ख़तरा ही ख़त्म हो जाए।

पत्रकारिता को दुबकाने की दूसरी दोषी हमारी पत्रकार बिरादरी भी है जो किसी को सत्ता-नशीं करवा कर ख़ुद के ख़ुदा होने का यक़ीन कर बैठती है। जिसे लगता है कि अगर फलां पत्रकार सरकार के ज़्यादा क़रीब गया तो फिर हमारा क्या होगा। विकल्प-विकल्प गाने वाले हर पत्रकार को अपने कायाकल्प की भी उम्मीद थी। सरकार के पक्ष में लिख रहे कलमश्री सोच रहे थे कि उन्हें तो पद्मश्री मिल ही जाएगा, हर विदेशी दौरे में उनका जलवा छाएगा, लेकिन हुआ उल्टा ही।

पद्म पुरस्कार पहुंचे उन ज़मीनी लोगों तक जिन तक सरकार के प्रचार में व्यस्त पत्रकारिता नहीं पहुंचती थी। ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार दे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रवेश करवाने वाली पहल कर सरकार की सकारात्मक छवि में चार चांद लग गए। बगलें झांकते पत्रकार इसे तुरुप का पत्ता लिखने को मजबूर हो गए। अब विदेश दौरे पर मंत्री जाते हैं अकेले और पत्रकारों तक पहुंचती है प्रेस के लिए जारी सूचना की प्रति, जिससे किसी भी तरह के प्रतिवाद की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है।

इसी पत्रकार बिरादरी के एक ख़ेमे पर दोष है, पत्रकारिता का गोदी मीडिया के रूप में सामान्यीकरण करने का। एक सिर्फ़ मेरी कमीज़ सफ़ेद वाले इस समूह ने गोदी मीडिया का इतना हल्ला मचाया कि अब आम लोग उन साधारण पत्रकारों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं जो बिजली-पानी-सड़क की ख़बरें करने के लिए सड़कों पर घूमते हैं। आज भी पत्रकारों की सबसे बड़ी क़ौम वही है जो न तो किसी 'अ' सरकार की समर्थक है और न किसी 'ब' सरकार की मुख़ालफ़त करना उसका एक सूत्रीय एजेंडा।



वह सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्रकारिता करना चाहती है, लेकिन अब 'सिर्फ़ पत्रकारिता' करने वालों की आवाज़ गोदी मीडिया के शोर में दफ़न हो चुकी

पत्रकारिता को दुबकाने की दूसरी दोषी हमारी पत्रकार बिरादरी भी है जो किसी को सत्ता-नशीं करवा कर ख़ुद के ख़ुदा होने का यक़ीन कर बैठती है। जिसे लगता है कि अगर फलां पत्रकार सरकार के ज़्यादा क़रीब गया तो फिर हमारा क्या होगा। विकल्प-विकल्प गाने वाले हर पत्रकार को अपने कायाकल्प की भी उम्मीद थी। सरकार के पक्ष में लिख रहे कलमश्री सोच रहे थे कि उन्हें तो पद्मश्री मिल ही जाएगा, हर विदेशी दौरे में उनका जलवा छाएगा, लेकिन हुआ उल्टा ही।

है। जिस तरह से एक ख़ास क़ौम के हर व्यक्ति को आतंकवादी कहना मानवता के साथ अपराध है उसी तरह से पूरी पत्रकारिता का गोदी मीडिया के रूप में सामान्यीकरण करना उतना ही बड़ा अपराध है।



दुबकी पत्रकारिता के तीसरे दोषी हैं दर्शक, जिन्हें हर ख़बर में अपने राजनीतिक रुझान का जयकारा चाहिए। अगर आज की तारीख़ में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, स्वघोषित शून्य प्रसार वाले पत्रकार सरकार के पक्ष में किसी ख़बर की प्रस्तुति करेंगे तो दर्शकों का एक ख़ेमा उस पर यक़ीन नहीं करेगा और उसमें भी सरकार के ख़िलाफ़ कोई साज़िश खोज ही लेगा। वहीं सरकार के पक्षकार की आरोपी बनी पटना में कोने में दुबकी पत्रकार सरकार के ख़िलाफ़ भी ख़बर करेंगी तो दर्शकों का एक ख़ेमा यही मानेगा कि यह सरकार द्वारा आरोपित ख़बर होगी, जिसमें अंततः सरकार का ही फ़ायदा होगा।

दर्शकों की इस ख़ेमेबंदी का आधा फ़ायदा चुनिंदा पत्रकार तो आधा सरकार उठाती है। ज़ाहिर-सी बात है कि इस कारण जिसके हिस्से हर तरह का घाटा आता है वो पत्रकारिता है। दुबकी पत्रकारिता की चौथी गुनहगार वह भीड़ है जो पिछले एक दशक में तैयार हुई। भीड़ ने सड़क पर चलने वाला अपना एक क़ानून बना लिया है।

भीड़ का यह क़ानून हर तरह की हिंसा में विश्वास करता है। यह भीड़ किसी को भी सार्वजनिक तौर से शर्मिंदा करने पर आमादा रहती है। यह आपको इतना समय और जगह नहीं देती कि आप अपनी बात रख सकें कि आपने ऐसा किस वजह से और क्यों किया? आपको यह मौक़ा नहीं दिया जाएगा कि आपकी बात में से जो बाल की खाल निकाली जा रही है आप उसका स्पष्टीकरण दे सकें।

यह भीड़ हर जगह को घेरे हुए है। आप कहीं पहुंचें और आपको गोदी मीडिया के नारे से नवाज़ा जाएगा या फिर देश के गद्दारों कहकर बुलाया जाएगा। इस भीड़ से न तो बिहार में ही जन्मी पत्रकार बच सकी और न शीर्ष शिक्षा का केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) जहां के लोग देश की बौद्धिकता की अगुआई का दावा करते हैं। यह भीड़ अब सोशल मीडिया पर भी अपना क़ब्ज़ा कर चुकी है। सोशल मीडिया पर इस भीड़ ने सच और झूठ के फ़र्क़ को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। सोशल मीडिया पर जो जितना पसरा वह उतना तगड़ा, और इस प्रतियोगिता में हार मान कर सच कहीं दुबका पड़ा रह जाता है।

सरकार, पत्रकार, दर्शक की तिगड़ी से बना चौथा खंभा वह भीड़ है जो इस लोकतंत्र के हर खंभे को हिला रही है। इस भीड़ ने सड़क और शिक्षा के बीच की दूरी ख़त्म कर दी है। हर जगह के नागरिक एक भीड़ में तब्दील किए जा रहे हैं। सड़क और बौद्धिकता के बीच एक गंभीर खाई बन गई है जहां खड़े रहने के लिए भी कोई किनारा नहीं बचा है। आप इस पार रहें, या उस पार गिरना तो आपको खाई में ही है।

भीड़तंत्र ने जो नया सामान्य बनाया है उसके बाद अब हमारे कान सुनना बंद कर रहे हैं। भीड़ का चरित्र ऐसा होता है कि वह सिर्फ़ चीखती है। जब आपका नागरिक से भीड़ के रूप में रूपांतरण होता है तो सबसे पहले कान, आंख और दिमाग़ से जुड़े तंत्र काम करना बंद करते हैं। कान सुनकर उसे दिमाग़ तक पहुंचाने की क्षमता खो बैठता है। सड़क पर भीड़ के क़ानून को अभी नहीं रोका गया तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा शरीर बहुअंगीय निष्क्रियता का शिकार हो जाएगा। हमारी ज्ञानेंद्रियां सरकारों के सामने इतनी निष्क्रिय होंगी जिसे कभी भी अपनी सुविधानुसार शल्य-क्रिया से निकाल कर फेंका जा सकता है। ■■

(साभार : जनसत्ता)

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

एक संक्षिप्त परिचय

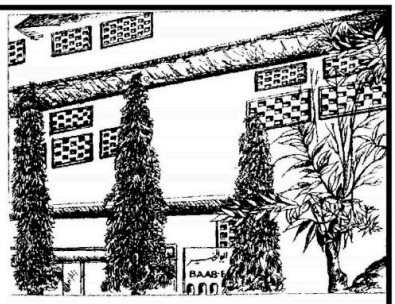

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी (Residential) इदारा

● **36** वर्षीय सेवाएं ● 21 विभाग **शिक्षा** :प्राथमिक से मैट्रिक तक **पत्राचार शिक्षा** (Distance Education) I.A., B.A., M. A. एवं Library Science (Blis) ● स्टडी सेन्टर-यतीमख़ाना इस्लामिया गया ● मंजूरशुदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी **शोबा-ए-हिफ़्ज़ व नाज़रा के साथ-साथ मैट्रिक (Matric)**● 12 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा (Adult Educations) **वोकेशनल सेन्टर** (Vocational Centre) ● कटिंग और सिलाई : 11 बैच 103 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 7 बैच 65 छात्राओं ने Certificate हासिल की ● **बिहार सेकेन्ड्री बोर्ड** 1993 ई॰ से **2022** ई॰ तक 102 अनाथ बच्चियों और 78 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● कंप्यूटर (Computer) की भी शिक्षा ● **वार्षिक ख़र्च** : 35 लाख रुपये से अधिक ● **आमदनी के स्रोत** : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● **इदारा 100** अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● **किफ़ाला स्कीम (Sponsorship)** के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 20,000/- रुपये है—आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठाकर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : उदाहरणस्वरूप ● ज़कात ● सदक़ात ● अतियात ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदाएगी आदि ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 1,35,000/- रुपये से अधिक ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाने और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना। नोट : ❶ यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किए जाते हैं और ऑडिट होता है। हर चीज़ खुली किताब की तरह है। ❷ इदारा में ख़ुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिल-जुलकर रहा करती हैं । ❸ इस्लामी माहौल, खुला स्थान, इस्लामी लिबास, इस्लामी यूनिफार्म और इस्लामी तालीम के साथ-साथ कम ख़र्च में बिहार सेकेन्ड्री बोर्ड के निसाब के साथ मेयारी तालीम।

चार बातें याद रखें : ❶ बैंक (Bank) की वह रक़म जो सूद (Interest) के तौर पर बैंक से मिलती है, जो मुसलमानों के लिए हराम है उस रक़म को ग़रीब यतीम लड़कियों की अशिक्षा और जहालत दूर करने और तालीम फैलाने के लिए लड़कियों के दारुल यतामा फंड में दें। ❷ यतीम बच्चियां जिनके पिता का देहांत हो चुका है उनके भोजन एवं आवास के साथ-साथ एक बेटी की तरह यहां सारी सहूलत बिल्कुल निःशुल्क दी जाती हैं ❸ बाहरी छात्राओं के लिए अपने ख़र्च पर होस्टल की भी व्यवस्था है। ❹ यतीम तालिबात का दाख़िला तालीम मअ तआम-ओ-क़याम और रिहाइश बिल्कुल मुफ़्त है कोई ख़र्च नहीं लिया जाता है।

नोट : क़ौम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अनुरोध है कि क़ौम की यतीम बच्चियों को इदारा में दाख़िल कराने के लिए रहनुमाई करें और तवज्जोह दिलाएं। शुक्रगुज़ार हूंगा।

इदारा आपके फ़राख़दिलाना और मुख़लिसाना तआवुन का मुंतज़िर है।

आप ख़ुसूसी तवज्जोह दें : मुल्क में लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से आपका यह इदारा माली मुश्किलात में घिरा हुआ है। दुश्वारी का सामना है। आमदनी घट के कम हो गई है। यह साल भी मुल्क के दीनी इदारों के लिए ज़िन्दगी और मौत का सवाल बन गया है। ख़ुदारा यतीमख़ाने मदारिस और मसाजिद को बन्द होने से बचाइए। इन पर रहम कीजिए। अल्लाह आप पर रहम करेगा।

Foreign Donors ग़ैर-मुल्की चंदा दहंदगान

A/c Name : The Gaya Muslim Girls Orphanage
Bank A/c No :
Bank Swift Code :
Bank :

Contact Us
For New Bank Account Details

नोट : बाहर मुल्क के हज़रात अब डॉलर, रियाल और पाउंड वग़ैरह में भी ऊपर लिखे हुए अकाउंट नम्बर पर अपनी रक़म भेज सकते हैं।

चेक व ड्राफ्ट पर सिर्फ यह लिखें : "The Gaya Muslim Girls' Orphanage"

तरसीले ज़र व रावते का पता : Hon. General Secretary
The Gaya Muslim Girls' Orphanage
At. Kolowna, P.O. Cherki-824237, Distt. Gaya (Bihar) India
E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.in

Indian Donors : भारतीय चंदा देने वाले

A/c Name : The Gaya Muslim Girls Orphanage
Bank A/c No. : 300402010007752
Bank IFS Code No : UBIN0530042
Bank : Union Bank of India (Main Branch, Gaya)

नोट : हिन्दुस्तानी सूबों और बाहर मुल्क में रहने वाले हज़रात हिन्दुस्तानी बैंक का चेक व ड्राफ्ट और रक़म हिन्दुस्तानी चंदा दहंदगान वाले अकाउंट नम्बर पर भेजें।

नोट : Documentary Film - Nazr-e-Enayeth जिसमें दोनों यतीमख़ाना (Boys & Girls) की मुख़्तसर तारीख़ है, इंटरनेट You-Tube पर देखें।

नोट : रक़म कोर बैंकिंग और ऑनलाइन Online से भेजने वाले हज़रात मोबाइल या ई-मेल E-mail या डाक से मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि रक़म की रसीद रवाना की जा सके।

इक़बाल अहमद ख़ान बानी व एज़ाज़ी जेनरल सेक्रेट्री - 09934480190

समाधान



डॉ. क़ासिम रसूल इलियास

सामाजिक सौहार्द एक बुनियादी ज़रूरत

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश विभिन्न धर्मों के मानने वालों, विभिन्न भाषाओं के बोलने वालों और अलग-अलग संकृतियों से संबंधित लोगों का देश है। दुनिया के सभी बड़े धर्मों के मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं। चाहे वे ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हों, हिंदू धर्म के मानने वाले हों, इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, बौद्ध, सिख या पारसी धर्म के मानने वाले हों। ये लोग अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं और हमारे देश के अलग-अलग प्रांतों में रहते हैं।



देश में लगभग 1700 भाषाएं ऐसी हैं जो लोगों की मात्र भाषाएं हैं और लगभग 6 हज़ार से 7 हज़ार के बीच जातियां हैं, जिनसे संबंध रखने वाले लोग हमारे इस देश में रहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारा समाज एक बहुधार्मिक, बहुभाषीय और बहुसांस्कृतिक समाज है और सभी समाजों के लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं।

किसी भी देश की तरक़्क़ी और ख़ुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश में रहने वाले तमाम लोगों के बीच आपसी भाईचारा हो और एक दूसरे के साथ सहिष्णुता और साथ रहने की भावना पाई जाती हो। हमारे देश की यही ख़ूबी पूरी दुनिया में हमें विशिष्टता प्रदान करती है। इससे हमारा एक अनोखा चरित्र दुनिया के सामने नुमाया होता है कि इतने सारे धर्मों और इतनी सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग एक देश में आपसी सौहार्द व सद्भाव के साथ एक साथ रहते हैं, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि हमारे देश में कुछ ताक़तें ऐसी हैं जो इस सद्भाव को ख़त्म कर देना चाहती हैं।

ग़ौरतलब है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के बारे आमतौर पर यह कहा जाता है कि उस देश की मीडिया का वहां की शासन व्यवस्था में एक प्रमुख स्थान होता है। लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलने और नेताओं की और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही तय करने में मीडिया की एक बड़ी और बुनियादी भूमिका होती है। इसी प्रकार मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जनमत को बनाने में होती है। हम देखते हैं कि मीडिया जिस ओर लोगों का रुख़ मोड़ देता है आमतौर पर लोग उसी ओर चल पड़ते हैं। वर्तमान समय में मीडिया का फैलाव बहुत बढ़ गया है। उसकी पहुंच समाज के हर वर्ग तक हो चुकी है।

प्रिंट मीडिया की पहुंच एक सीमित

दायरे या केवल पढ़े-लिखे लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और विशेष रूप से इससे भी आगे बढ़कर सोशल मीडिया के मैदान में हमने क़दम रखा है, हम यह देखते हैं कि मीडिया की भूमिका समाज में एक महत्वपूर्ण हैसियत का रूप ले चुकी है। आज मीडिया समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है और वह जिस रुख़ पर लोगों को डालना चाहता है लोग चल पड़ते हैं।

ऐसे माहौल में जबकि हमारे देश के लिए सद्भावना एक बुनियादी ज़रूरत है, मीडिया की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देश में शांति व सौहार्द बढ़ाने और हमारे सामाजिक ताने-बाने को मज़बूत करने में वास्तव में मीडिया की भूमिका क्या है? इस संबंध में मीडिया के सकारात्मक पक्ष पर बात होनी चाहिए। शांति एवं सौहार्द के लिए काम करने वालों को भी मीडिया में उचित स्थान मिलना चाहिए। यह सच है कि मीडिया की अपनी समस्याएं और आवश्यकताएं हैं। मीडिया के सामने टीआरपी और रीडरशिप का मुद्दा है, लेकिन उसे यह देखना होगा कि यह टीआरपी या रीडरशिप वह किस क़ीमत पर हासिल कर रहा है? समाज को तोड़कर, उसमें बिखराव पैदा करके या समाज को जोड़कर?

इसलिए समाज में अगर हमें आपसी शांति और सौहार्द पैदा करना है, अशांति को ख़त्म करना है और मानवता को बढ़ावा देना है तो सबसे पहले हमें मीडिया की भूमिका को परिभाषित करना बहुत ज़रूरी है। इस संबंध में मीडिया को अपनी यह ज़िम्मेदारी महसूस करनी चाहिए कि समाज के ताने-बाने को मज़बूत करने और समाज में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने में उसकी जो भूमिका होनी चाहिए उसे उस पर ध्यान देना चाहिए। ■■



महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देश में शांति व सौहार्द बढ़ाने और हमारे सामाजिक ताने-बाने को मज़बूत करने में वास्तव में मीडिया की भूमिका क्या है? इस संबंध में मीडिया के सकारात्मक पक्ष पर बात होनी चाहिए। शांति एवं सौहार्द के लिए काम करने वालों को भी मीडिया में उचित स्थान मिलना चाहिए। यह सच है कि मीडिया की अपनी समस्याएं और आवश्यकताएं हैं। मीडिया के सामने टीआरपी और रीडरशिप का मुद्दा है, लेकिन उसे यह देखना होगा कि यह टीआरपी या रीडरशिप वह किस क़ीमत पर हासिल कर रहा है? समाज को तोड़कर, उसमें बिखराव पैदा करके या समाज को जोड़कर?

कविता

मत कहो, आकाश में कुहरा घना है

दुष्यंत कुमार

मत कहो, आकाश में कुहरा घना है,
यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है।

सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से,
क्या करोगे, सूर्य का क्या देखना है।

इस सड़क पर इस क़दर कीचड़ बिछी है,
हर किसी का पांव घुटनों तक सना है।

पक्ष औ' प्रतिपक्ष संसद में मुखर हैं,
बात इतनी है कि कोई पुल बना है।

रक्त वर्षों से नसों में खौलता है,
आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है।

हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था,
शौक़ से डूबे जिसे भी डूबना है।

दोस्तो! अब मंच पर सुविधा नहीं है,
आजकल नेपथ्य में संभावना है।

ज्वलंत

संपादन प्रभाग

गर्भपात पर ग़लत रुख़

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी. वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा गत दिनों दिये गये एक फ़ैसले में सभी महिलाओं को गर्भपात कराने के लिए सुरक्षित और क़ानूनी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार दिया गया। भले ही माता का गर्भ 20 से 24 सप्ताह के बीच का हो। इससे पहले क़ानून केवल विवाहित महिलाओं को गर्भपात की अनुमति देता था। अविवाहित महिलाओं को भ्रूण गर्भपात क़ानून से बाहर रखा गया था।



न्यायालय द्वारा दिए गए गर्भपात संबंधी इस फ़ैसले पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे विकासवादी और महिला अधिकारों के हित में बता रहे हैं, तो दूसरी ओर लोगों का यह भी मानना है कि यह फ़ैसला अनैतिक एवं प्राकृतिक नियमों के ख़िलाफ़ है।

जानकारों का कहना है कि निस्संदेह, महिला अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन 24 हफ़्ते तक के गर्भ को नष्ट करने की अनुमति शोचनीय है। यह एक बेज़ुबान जीव की हत्या को बढ़ावा दे सकता है। कुछ लोग इसे दकियानूसी विचार भी मान सकते हैं, परंतु ग़लती आप करें और छह महीने के बाद आपको अपनी ग़लती का एहसास हो जाए, तो उसकी एवज़ में एक जान की बलि न्यायोचित नहीं लगती। अच्छा हो कि पहले से उचित रोकथाम सुनिश्चित हो। गर्भस्थ शिशु के जीवन के अधिकार भी सुरक्षित रहने चाहिए। इस फ़ैसले ने लोगों को अवैध और असुरक्षित गर्भपात के रास्ते पर ले जाने के लिए रास्ता खोल दिया है।

गर्भपात को कई देशों ने किसी न किसी कारण से प्रतिबंधित, अनैतिक व हिंसक कृत्य माना है। अभी हाल में ही गर्भपात के ही मसले पर आए पिछले दिनों अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित फ़ैसले को देखें, जिसमें गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को ख़त्म कर दिया गया।

निस्संदेह, गर्भधारण करने वाली महिला गर्भावस्था के समय कई तरह की समस्याओं से गुज़रती है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में गर्भपात जैसे

कृत्य को नैतिक नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा है कि क़ानूनों को समाज की आवश्यकता के अनुसार बदला जाना चाहिए। बेशक, ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ क़ानूनों को बदल पाना स्वयं प्रकृति के वश में नहीं है। क्या आप पानी का वाष्प बनकर उड़ जाना और फिर वाष्प का ठंडा होकर बारिश बनकर गिरना बंद करवा सकते हैं? क्या आप पौधों का बीज से अंकुरित होना बंद करवा सकते हैं? आप ये सब इसलिए नहीं करवा सकते, क्योंकि ये आपके सामर्थ्य के बाहर की बात है।

जो बच्चा मां के गर्भ में बन चुका है, इसका अर्थ है कि उसने दुनिया में आने का फ़ैसला कर लिया है। उसके जन्म न लेने के बारे में फ़ैसला करने का अधिकार अब किसी को नहीं है, मां को भी नहीं। हमें इस क़ानून के समाज पर पड़ने वाले दुष्परिणामों की जांच करनी चाहिए।

ठीक इसी तरह, आप किसी जीव से उसका जीवन छीनने का हक़ भी नहीं रखते। गर्भ को कभी गिराना नहीं चाहिए। इससे लिंगानुपात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्वयं महिलाओं को इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करनी चाहिए। हम अजन्मे शिशु का गला घोंटने का काम नहीं कर सकते।



सरकार ने नये एमटीपी-मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी (गर्भ का चिकित्सकीय समापन) संशोधन अधिनियम-2022 बनाकर पुराने क़ानूनों में संशोधन किया, जिससे सभी महिलाओं को क़ानूनन गर्भपात की अनुमति मिल गई है। ताज़ा फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार के सवाल को भी छुआ है। कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है कि बलात्कार की व्याख्या में वैवाहिक बलात्कार को भी शामिल किया जाना चाहिए और इसे भी एमटीपी के दायरे में लाया जाना चाहिए। अगर एक विवाहित महिला को लगता है कि उसकी मर्ज़ी के बिना उसे गर्भ धारण करने के लिए मजबूर किया गया है, तो यह क़ानून महिला को पति की अनुमति के बिना अपने अजन्मे शिशु के भ्रूण-हत्या की अनुमति देगा।

अदालत के इस फ़ैसले पर देश के बहुत से सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने असहमति व्यक्त की है। उनका तर्क है कि यह फ़ैसला नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मूल्यों और नैतिक नियमों के ख़िलाफ़ है। गर्भपात अनिवार्य रूप से एक नैतिक मुद्दा है और कोई भी अजन्मे शिशु के अधिकारों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता। अजन्मे शिशु अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें अपनी मर्ज़ी से समाप्त कर सकते हैं।

गर्भ के समापन की प्रक्रिया चाहे वह कितनी ही सुरक्षित क्यों न हो, किसी प्रकार से एक गर्भस्थ शिशु की हत्या को उचित एवं नैतिक क़रार नहीं दिया जा सकता। उक्त क़ानून और अदालत के ताज़ा फ़ैसले ने न केवल महिलाओं के भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को दीर्घकालिक नुक़सान पहुंचाने की आशंका बढ़ा दी है, बल्कि एक महिला और उसके गर्भस्थ शिशु जीवन के संकट की आशंका को प्रबल किया है। जो बच्चा मां के गर्भ में बन चुका है, इसका अर्थ है कि उसने दुनिया में आने का फ़ैसला कर लिया है। उसके जन्म न लेने के बारे में फ़ैसला करने का अधिकार अब किसी को नहीं है, मां को भी नहीं। हमें इस क़ानून के समाज पर पड़ने वाले दुष्परिणामों की जांच करनी चाहिए। इससे महिलाओं का शोषण कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि पुरुष अब अपने कामों के परिणामों से नहीं डरेंगे। अतः इस क़ानून और फ़ैसले पर पुनर्विचार किया जाए और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले क़ानून की फिर से जांच की जाए और समाज में स्वस्थ बहस की जाए, क्योंकि लाखों अजन्मे गर्भस्थ शिशुओं का जीवन और मानवाधिकार दांव पर है। ■■

समसामयिक



जितेंद्र गौतम

चिंताजनक गिरावट

रुपये की गिरती हुई क़ीमत बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी है। भारतीय मुद्रा रुपया बीते महीनों में तेज़ी से गिरा है और डॉलर का मूल्य बढ़कर 80 रुपये प्रति डॉलर से ऊपर जा पहुंचा। स्थिति गंभीर इसलिए भी है, क्योंकि रुपये में गिरावट को थामने की कोशिशों के चलते भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्राभंडार में ख़ासी गिरावट दर्ज की गई है।



बीते आठ महीनों मध्य जनवरी से मध्य सितम्बर के बीच में भारत के विदेशी मुद्राभंडार में लगभग 90 बिलियन डॉलर की कमी आई है यानी प्रति माह लगभग 11 बिलियन डॉलर की गिरावट रही। आर्थिक परिदृश्य पर नज़र डालें तो स्थिति ख़ासी जटिल है और रुपये के समक्ष चुनौतियां भी।

जानकारों का कहना है कि अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति में उछाल का सामना करना पड़ रहा है। अभी यह 7 प्रतिशत से ज़्यादा है और इसे क़ाबू में रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को नीतिगत ब्याज़ दरों में बढ़ोत्तरी करनी पड़ी है। हालांकि अर्थव्यवस्था के 7 प्रतिशत या उससे कुछ कम की दर से बढ़ने का आकलन है, लेकिन रोज़गार और महंगाई की समस्या भी विकराल रूप धारण करती जा रही है। दुविधा यह है कि आक्रामक मौद्रिक नीति से महंगाई थामने की क़वायद क्या ठीक रहेगी या उदार ब्याज नीति से आर्थिक गतिविधियां बढ़ाई जाएं ताकि रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसरों का सृजन हो सके।

जानकारों का मानना है कि ब्याज दर बढ़ाकर पश्चिमी देश महंगाई को क़ाबू रखने को तरजीह देते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में सख़्त मौद्रिक नीति शायद उतना बेहतर विकल्प नहीं है। निस्संदेह, कठोर मौद्रिक नीति के ज़रिए महंगाई थामने के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन भारत में ज़्यादातर नीति-निर्माताओं को लगता है कि भारत

में महंगाई 'आयातित' है। इसलिए ब्याज दरों में वृद्धि और रुपये में आ रही गिरावट के नफ़ा-नुक़सान की चर्चा हो रही है। मौद्रिक नीति कमेटी की ओर से अपनी बैठक में मौद्रिक नीति की सख़्ती या नरमी को लेकर चर्चा करने की बात कह रही है। इस बीच ज़्यादातर अर्थवेत्ताओं का मानना है कि मौद्रिक नीति उदार होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई के लिए घरेलू की बजाए बाहरी कारकों को ज़िम्मेदार माना जा रहा है।

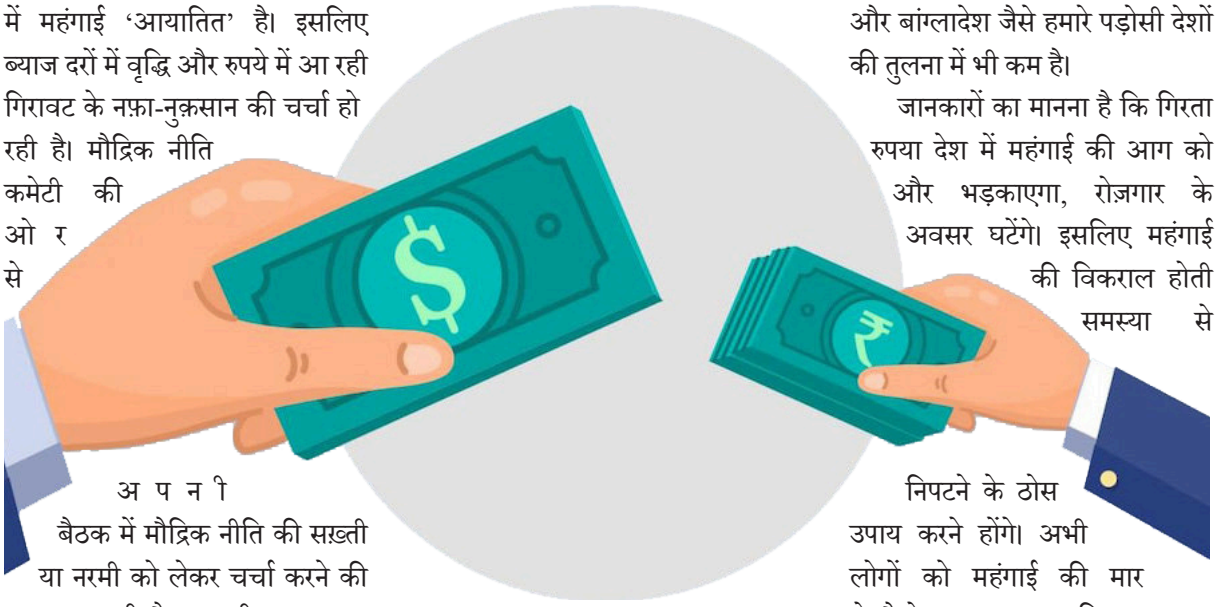

अमेरिकी डॉलर के मुक़ाबले रुपये का 80 से नीचे तक गिरना ऐतिहासिक रूप से अब तक का सबसे निचला स्तर है। रुपये में और गिरावट से बचाव के लिए आरबीआई (भारतीय रिज़र्व बैंक) ने अपने विदेशी मुद्राभंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया है। हमारे बढ़ते चालू वित्तीय घाटे (आयात-निर्यात अंतर) के कारण रुपये की रक्षा एक स्थायी रणनीति नहीं हो सकती है। रुपये की गिरावट से ईंधन की क़ीमतें और भी अधिक बढ़ेंगी जिससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी और परिणामस्वरूप हमारी मौद्रिक नीति कठोर होगी।

मई 2022 के बाद से आरबीआई पहले ही ब्याज दरों में 0.5 प्रतिशत की चार बार बढ़ोत्तरी कर चुका है। इससे बैंकों से ऋण लेने में कमी आएगी और अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी। चिंता का एक विषय मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) 2022 पर 191 देशों में 132 की हमारी रैंकिंग है। एचडीआई को लंबे और स्वस्थ जीवन, शिक्षा तक पहुंच और एक सभ्य जीवन स्तर जैसे कारकों पर मापा जाता है। एचडीआई की गणना चार संकेतकों, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) का उपयोग करके की जाती है। इन सभी सूचकांकों में हमारा प्रदर्शन श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हमारे पड़ोसी देशों की तुलना में भी कम है।

जानकारों का मानना है कि गिरता रुपया देश में महंगाई की आग को और भड़काएगा, रोज़गार के अवसर घटेंगे। इसलिए महंगाई की विकराल होती समस्या से निपटने के ठोस उपाय करने होंगे। अभी लोगों को महंगाई की मार से कैसे बचाया जाए, फिलहाल यह सवाल हमारे लिए तात्कालिक महत्व का है।

जानकारों का मानना है कि गिरता रुपया देश में महंगाई की आग को और भड़काएगा, रोज़गार के अवसर घटेंगे। इसलिए महंगाई की विकराल होती समस्या से निपटने के ठोस उपाय करने होंगे। अभी लोगों को महंगाई की मार से कैसे बचाया जाए, फ़िलहाल यह सवाल हमारे लिए तात्कालिक महत्व का है। आम लोगों पर महंगाई की मार के दूरगामी असर होते हैं, जो उन्हें ग़रीबी की ओर धकेलते हैं। उनके लिए अल्प मात्रा में धन का वितरण भी ऐसी स्थिति में उपयोगी नहीं होता। इसीलिए महंगाई को नियंत्रित करना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए।

अर्थशास्त्र के जानकारों का यह भी मानना है कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को ब्याज-आधारित से हिस्सेदारी पर आधारित में बदलने का बीड़ा उठाना चाहिए, ताकि वह स्थिर हो सके और ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव पर निर्भर हुए बिना ख़ुद को स्थिर एवं बनाए रख सके। भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कल्याणकारी नीतियों को भी अपनाना चाहिए। हमें बढ़ती आर्थिक असमानता को कम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रगति और विकास सभी के लिए समान हो। सकारात्मक आर्थिक प्रगति तभी संभव है जब देश में आर्थिक न्याय की अवधारणा को साकार किया जाए। ■■

अनुचित एवं तर्कहीन विरोध क्यों?

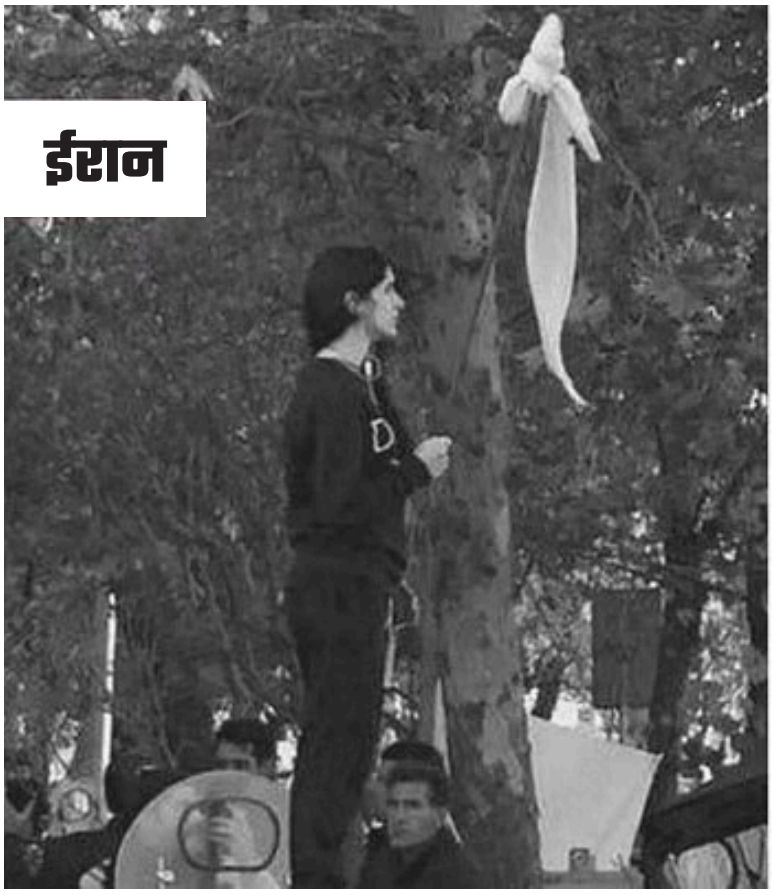

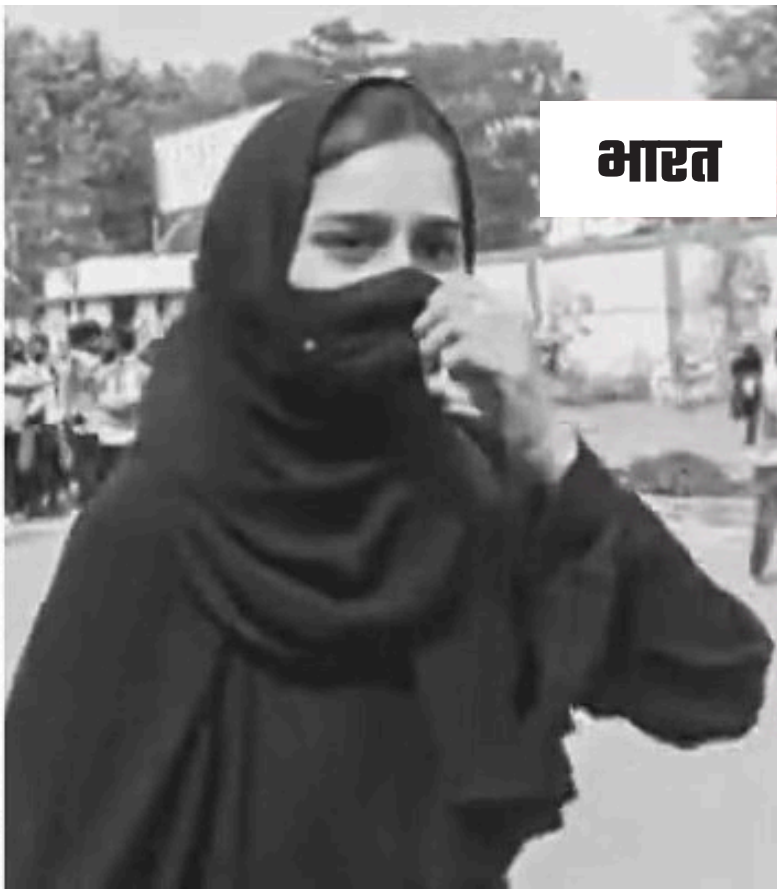

दृष्टिकोण



सुफ़ियान अहमद

एक विवाद जो अक्सर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चलता रहता है वह है हिजाब, नक़ाब या बुर्क़े का। भारत, फ्रांस और बेल्जियम के बाद अब यह विवाद ईरान में भी दाख़िल हो चुका है। यह एक ऐसा विवाद है जिसके पक्ष एवं विपक्ष दोनों ओर लाखों लोग खड़े रहते हैं। इस विवाद के कई पहलू हैं, मसलन इस्लाम, धर्म, संस्कृति, महिला अधिकार, पितृसत्ता, मानव-अधिकार, सुरक्षा कारण आदि-आदि। हिजाब या बुर्क़ा पहनें या नहीं, इस पर बहस चलती रहती है और यह सुर्ख़ियों में तब आ जाता है जब इसे लेकर कोई घटना घट जाती है या किसी देश में इस पर प्रतिबंध की मांग की जाती है। वैसे यह केवल हिजाब विरोध का मामला नहीं है। प्रतीकों को लेकर जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है, उसका मामला भी है।

ईरान में गत दिनों हिजाब को लेकर भारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा देखने को मिली। वहां महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर एक विशेष प्रकार का हिजाब पहना अनिवार्य है, जिसमें उनके बाल पूरी तरह से ढ़के हुए हों। ईरान में हिजाब विरोधी इन प्रदर्शनों के दौरान अपने खुले बालों को बांधती एक युवती का वीडियो वायरल हो गया था, बाद में उसकी गोली मार कर हत्या किए जाने की ख़बरें आईं। रिपोर्ट के अनुसार, उसे पेट, गर्दन, सीने और हाथ पर गोली मारी गई। ईरान में ये विरोध-प्रदर्शन उस

समय भड़क उठे जब एक 22 वर्षीय 'महसा अमीनी' नामक युवती की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। महसा को ठीक से हिजाब न पहनने के कारण गिरफ़्तार किया गया था।

दुनिया भर में जब इसे लेकर प्रतिक्रियाएं हो रहीं थीं तो ज़ाहिर है कि भारत अछूता कैसे रह सकता है। भारत में भी इसे लेकर मीडिया और ख़ासकर सोशल मीडिया में ख़ूब बहसें हुईं। भारत में यह बहस और भी महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि यहां भी कर्नाटक से उठा हिजाब विवाद बीते कई माह से मीडिया में छाया रहा और विवाद इतना बढ़ा कि मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा।

हिजाब विवाद को लेकर मीडिया और शोसल मीडिया में हुई बहसों के दौरान लाखों लोग इसके समर्थन और विरोध में खड़े दिखाई दिए। कुछ लोगों का मानना है कि भारत के कर्नाटक में कुछ मुसलमान लड़कियों का हिजाब को पहनने की मांग करना या फिर ईरान में एक ख़ास क़िस्म के हिजाब को ज़बरदस्ती थोपने का विरोध करना दोनों सही है। ईरान में इस्लाम के नाम पर जबरन हिजाब पहनाना और भारत में स्कूल यूनिफ़ॉर्म के नाम पर हिंदुत्ववादी शक्तियों के ज़रिये मुसलमान लड़कियों का जबरन हिजाब उतारने की कोशिश करना दोनों ही ग़लत है। भारत में हमें यह भी देखना ज़रूरी है कि हिंदू वर्चस्ववादी राजनीति अभी सत्ता में है और वो मुसलमान लड़कियों को हिजाब और स्कूल में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर कर रही है।

जहां तक भारत का संबंध है तो यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष, बहुलतावादी और बहुसांस्कृतिक देश है। यहां भारी संख्या में अलग-अलग धर्मों के लोग

जहां तक भारत का संबध है तो यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष, बहुलतावादी और बहुसांस्कृतिक देश है। यहां भारी संख्या में अलग-अलग धर्मों के लोग सदियों से एक साथ मिलजुल कर रहते आएं हैं। यहां अकेले मुसलमानों की जनसंख्या ईरान की कुल आबादी से लगभग दोगुनी से भी ज़्यादा है। यह देश लोगों के धार्मिक अधिकारों, मानवाधिकारों और महिला अधिकारों का झंडा वाहक होने का सदैव दावा करता रहा है।

सदियों से एक साथ मिल-जुलकर रहते आएं हैं। यहां अकेले मुसलमानों की जनसंख्या ईरान की कुल आबादी से लगभग दोगुनी से भी ज़्यादा है। यह देश लोगों के धार्मिक अधिकारों, मानवाधिकारों और महिला अधिकारों का झंडावाहक होने का सदैव दावा करता रहा है।

सवाल उठता है कि आख़िर इस देश में कौन यह तय करेगा कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए? किसी महिला को हिजाब पहनना है या नहीं यह निर्णय उसका व्यक्तिगत है और जब यह निर्णय किसी महिला का व्यक्तिगत है तो उस पर प्रतिबंध लगाना या फिर ज़बरदस्ती करना क्या सही है? जिन देशों में बुर्क़े पर प्रतिबंध लगाया गया है, वहां महिलाएं पहले से ज़्यादा बुर्क़ा पहनने लगीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनकी संस्कृति पर हमला है। फ्रांस और बेल्जियम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। फ्रांस में जब बुर्क़े पर प्रतिबंध लगा तो जिन महिलाओं ने कभी बुर्क़ा नहीं पहना था, वे भी बुर्क़ा पहनकर विरोध में उतर आयीं।

लगभग दो वर्ष पूर्व यह ख़बर भी आयी थी कि भारत में रांची के एक कॉलेज में टॉपर को ग्रेजुएशन सेरेमनी में सिर्फ़ इसलिए डिग्री नहीं दी गयी, क्योंकि वह हिजाब पहनकर आयी थी। आये दिन ऐसा होता रहता है, जब कोई महिला हिजाब या बुर्क़ा पहनती है, तो कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे संस्कारी बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों की लाइन लग जाती है जो इसे पितृसत्ता का प्रतीक और महिला ग़ुलामी की निशानी मानते हैं।

ऐसे काफ़ी लोग हैं जो किसी महिला को हिजाब में देखते हैं, तो मान लेते हैं कि यह महिला परिवार में दबी

हुई है, शोषित है। उनके हिसाब से धर्म और संस्कृति के दबाव ने उन्हें हिजाब पहनने को बाध्य किया है। यह एक प्रकार की स्वनिर्मित पूर्वधारणा है, जो उन्होंने अपने मन में बना ली है, लेकिन वे एक बार भी उस महिला से नहीं पूछते कि उसका हिजरब पर क्या नज़रिया है। पहनावे के आधार पर किसी को शोषित या शोषक कहना आधारहीन है।

भारत में हर किसी के अपने पहनावे हैं, कुछ मान्यताएं हैं। सिख पगड़ी पहनते हैं, तमिलनाडु के लोग लुंगी/धेती लपेटते हैं। दिगम्बर जैन मुनि नंगे रहते हैं,



कुम्भ मेला के नागा साधू नंगे रहते हैं, लेकिन इन पर किसी को बहस करते नहीं देखा गया। सवाल उठता है कि बात बार-बार हिजाब पर ही क्यों आकर रुक जाती है? बहस होगी केवल हिजाब पर। अक्सर इन बहसों की नीयत ख़राब होती है और इसका उद्देश्य एक समुदाय को नीचा दिखाना होता है। इसका कोई लाभ नहीं है। यह महिलाओं की मुक्ति के लिए भी नहीं है।

हर समाज का अपना तौर-तरीक़ा होता है। हर तौर-तरीक़े पर सवाल खड़े करने से पहले यह भी सोचना होगा कि इसका विरोध क्यों और किधर से किया जा रहा है? महिलाएं स्वयं इसका विरोध कर रही हैं या पुरुष ही निर्णय कर रहे हैं? एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश, जहां लोगों के धार्मिक एवं व्यक्तिगत अधिकारों को संविधान का संरक्षण प्राप्त हो, में हिजाब पहनना या न पहनना किसी महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। वह इसे पहनना चाहती है या नहीं, इस पर उसका निर्णय ही अंतिम होना चाहिए। कोई परिधान पहनना या न पहनना उसकी अपनी मर्ज़ी का विषय है।

जिस तरह सलवार कमीज़ पहनने वालों को जबरन शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहनाया जा सकता, उसी तरह हिजाब पहनने वालों को जबरन उसे उतारने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार किसी को जबरन हिजाब या घूंघट नहीं पहनाया जा सकता, उसी तरह जबरन उन्हें उतारने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता। हिजाब पर बहस बेकार का मुद्दा है, यह एक बिल्कुल निजी मामला है। जिसे पसन्द है, वह पहने जिसे नहीं पसन्द वह न पहने, इसमें किसी तरह की रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता। सबको अपनी पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक महिला के शरीर पर कैसा कपड़ा होगा, यह तय करने का अधिकार उसी का होना चाहिए। यह किसी के लिए ख़तरा नहीं हो सकता और न ही इससे किसी की स्वतंत्रता को ख़तरा हो सकता है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ज़ोर-ज़बरदस्ती को किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता।

■■

मज़बूत अर्थव्यवस्था की कसौटी



आर्थिकी



प्रो. ज़फ़ीर अहमद

वर्ष 2021 की अंतिम तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक़ भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पछाड़कर विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यह जीडीपी डेटा आईएमएफ़ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष) द्वारा जारी किया गया है। शीर्ष पर अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी हैं। (आईएमएफ़) के आंकड़ों के मुताबिक़ भारत की जीडीपी 3.2 ट्रिलियन डॉलर है, अगर भारत की वार्षिक विकास दर 7 प्रतिशत रही और जर्मनी की अर्थव्यवस्था में ठहराव आया तो भारत जर्मनी को पछाड़कर अगले चार साल में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और कोरोना वायरस के प्रभावों के कारण पश्चिमी देशों पर मंदी के बादल मंडरा रहे हैं। अब चाहे भारत पांचवां हो या तीसरा या हम पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएं, लेकिन हमें वास्तविक दुनिया में रहकर नीतियां बनानी होंगी और रोज़गार प्रदान करना, उत्पादन बढ़ाना, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना और व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए आत्म-निरीक्षण करना होगा।

कुछ दिन पहले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने कहा था कि अप्रैल से जून के बीच भारत की जीडीपी 36.85 लाख करोड़ रुपये रही, इसमें वास्तविक जीडीपी है और राजकोषीय घाटे का प्रभाव शामिल नहीं है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 13.5 प्रतिशत अधिक है जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। हमें इस वृद्धि को कोरोना तबाही और लॉकडाउन की पृष्ठभूमि में देखना होगा, जब व्यापार मंदी के बुरे दौर से गुज़र रहा था। वैसे 2019 में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के आंकड़े 35.67 लाख करोड़ रुपये थे। इसका मतलब है कि तिमाही में जीडीपी में महज़ 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि मुख्य रूप से आवश्यक राजकोषीय विस्तार के कारण था।

बार्कलेज़ की रिपोर्ट के मुताबिक़ जनवरी-मार्च और अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी में 3.3 प्रतिशत की गिरावट आई। यानी ग्रोथ नेगेटिव रही। इसमें मौसम की सख़्ती का असर भी शामिल है, लेकिन उससे पहले त्योहारी सीज़न की वजह से ख़रीद-फ़रोख़्त अच्छी रही है। इन सभी परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हालांकि फ़िलहाल रफ़्तार धीमी है। उम्मीदों के कुछ इशारे भी मिल रहे हैं जैसे लगातार 4 महीनों से प्रति माह

1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी की वसूली। मई और जून में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में दो अंकों की वृद्धि देखी गई और अगस्त में बैंक क़र्ज़ों में 11 वर्षों में सबसे बड़ी उछाल देखी गई।

मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को बनाए रखा है और उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ रफ़्तार से बढ़ेगी। रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी का असर नहीं पड़ेगा। मूडीज़ ने भारत के लिए अपनी तिमाही सॉवरेन रेटिंग को BAA3 पर बरक़रार रखा है। एजेंसी ने रेटिंग आउटलुक को नेगेटिव से स्थिर कर दिया था। भू-राजनीतिक स्थिति में रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध, उच्च राजकोषीय घाटा और वैश्विक वित्तीय स्थिति के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था के पटरी से उतरने का कोई डर नहीं है। मूडीज़ के मुताबिक़ चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जबकि पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में यह 8.7 प्रतिशत थी। 2023-24 में भारत की जीडीपी विकास दर 6.3 प्रतिशत रहने का अंदाज़ा है।

ज़मीनी तथ्यों की अनदेखी करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था अंग्रेज़ों को पछाड़कर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया पर जमकर इसका प्रचार किया जा रहा है। दरअस्ल, इस मामले में सच के एक छोर को पकड़कर झूठ का ख़ूब प्रचार किया जा रहा है। अकेले जीडीपी के आधार पर एक मज़बूत अर्थव्यवस्था को आंकना ख़ुद को मूर्खों की जन्नत में रखने के बराबर है।

मूडीज़ के मुताबिक़ अगर आर्थिक विकास उम्मीद से बेहतर रहा तो भविष्य में भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया जा सकता है, जो अर्थव्यवस्था के वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के माध्यम से संभव होगा। यानी अगर सरकार का क़र्ज़ का बोझ कम हो और उधार लेने की शक्ति में सुधार हो। दूसरी ओर कमज़ोर आर्थिक स्थिति या वित्तीय क्षेत्र में बढ़ते जोखिम के कारण डाउनग्रेड होने का डर है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने जीडीपी विकास लक्ष्य को



घटाकर 7.7 प्रतिशत कर दिया है- सिटीग्रुप ने भी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने 8 प्रतिशत विकास लक्ष्य को घटाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है। इस तरह एसबीआई ने अपने विकास लक्ष्य को 7.8 प्रतिशत से घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है, क्योंकि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का चालू खाता घाटा नौ साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

हाल के दिनों में, निर्यात को आयात की तुलना में धीमा देखा गया है। अधिकांश विकसित देशों में मंदी के डर से वैश्विक मांग कमज़ोर हुई है, जिससे अगस्त में भारत का निर्यात 1.15 प्रतिशत गिरकर 133 अरब डॉलर पर आ गया। व्यापार घाटा दोगुने से भी ज़्यादा बढ़कर 28.68 अरब डॉलर हो गया। इसलिए सरकार को निर्यात बढ़ाने पर अधिक ध्यान देना होगा। साथ ही प्रति व्यक्ति जीडीपी में सुधार की ज़रूरत है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्रेट ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति जीडीपी प्रति वर्ष 47 हजार डॉलर है जबकि हमारी प्रति व्यक्ति जीडीपी प्रति वर्ष केवल 2200 डॉलर है। प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में हम 205 देशों की सूची में सबसे ग़रीब देशों में 58वें स्थान पर हैं। इन ज़मीनी तथ्यों की अनदेखी करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था अंग्रेज़ों को पछाड़कर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया पर जमकर इसका प्रचार किया जा रहा है।

दरअस्ल, इस मामले में सच के एक छोर को पकड़कर झूठ का ख़ूब प्रचार किया जा रहा है। अकेले जीडीपी के आधार पर एक मज़बूत अर्थव्यवस्था को आंकना ख़ुद को मूर्खों की जन्नत में रखने के बराबर है। हमारे देश में आज 25 करोड़ लोग ग़रीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफ़ेसर और अर्थशास्त्री अरुण कुमार का विश्लेषण मौजूदा स्थिति पर आंखें खोलने वाला है। उनका कहना है कि भारत की जनसंख्या यूनाइटेड किंगडम से 20 गुना अधिक है। अगर हमारी जीडीपी यूनाइटेड किंगडम के क़रीब है, तो इसका मतलब है कि हम प्रति व्यक्ति आय में 20 गुना कम हैं। यह सिर्फ़ अज्ञानता है कि भारत और ब्रिटेन की जीडीपी की तुलना अच्छी तरह से की जा रही है समृद्धि की नहीं, लेकिन कुछ लोग जीडीपी के आकार को देखकर इसे बड़ी कामयाबी मान रहे हैं।

हमारे देश में आज 25 करोड़ लोग ग़रीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर और अर्थशास्त्री अरुण कुमार का विश्लेषण मौजूदा स्थिति पर आंखें खोलने वाला हैं। उनका कहना है कि भारत की जनसंख्या यूनाइटेड किंगडम से 20 गुना अधिक हैं। अगर हमारी जीडीपी यूनाइटेड किंगडम के क़रीब है, तो इसका मतलब है कि हम प्रति व्यक्ति आय में 20 गुना कम हैं। यह सिर्फ़ अज्ञानता है कि भारत और ब्रिटेन की जीडीपी की तुलना अच्छी तरह से की जा रही है समृद्धि की नहीं, लेकिन कुछ लोग जीडीपी के आकार को देखकर इसे बड़ी कामयाबी मान रहे हैं।

अरुण कुमार का कहना है कि 2019-20 से पहले भी हम सोच रहे थे कि हम यूके से आगे निकल जाएंगे। सरकार यह भी दावा कर रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर है और विकास दर 7 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ये सिर्फ़ संगठित क्षेत्र के आंकड़े हैं। इसमें असंगठित क्षेत्र शामिल नहीं है। प्रोफ़ेसर अरुण कुमार के विश्लेषण के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था वास्तविक आंकड़ों के मामले में पांचवें से सातवें स्थान पर पहुंच गई है, क्योंकि देश के 94 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं और यह देश के उत्पादन का 45 प्रतिशत हिस्सा है, जहां बेरोज़गारी आसमान छू रही है।

अब हमें ख़ाली नारेबाज़ी से बाहर निकलकर चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकें, ताकि हम बड़ी युवा आबादी का इस्तेमाल कर दुनिया की बड़ी कंपनियों को अपने देश की ओर आकर्षित कर सकें। हमारे देश में चीन की तरह सस्ते श्रम और औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें देश में क़ानून-व्यवस्था का माहौल स्थापित करना होगा और नफ़रत के कारोबार को रोकना होगा।

■■

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)

एक नज़र में

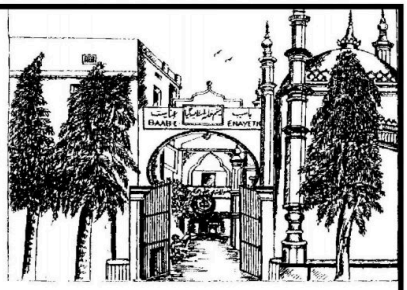

दीनी व असरी उलूम की अपने तर्ज की मशहूर अकामती (Residential) तालीमगाह

● सालह ख़िदमात ● बहुत सारे शोबाजात तालीमी मराहिल दर्जा अतफ़ाल ता मैट्रिक (Matric) शोबा हिफ़्ज़-ओ-नाजरह हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक बिहार स्कूल बोर्ड एक्ज़ामिनेशन हर साल का सद फ़ीसद 100% रिजल्ट ● फासलाती (Distance Education) I.A, B.A, M.A. और लाइब्रेरी साइंस (Blis) में 2022-23 के सेशन के लिए दाख़िला जारी (स्टडी सेन्टर यतीमख़ाना गया) मंज़ूरशुदा : मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ ● कम्प्यूटर (Computer) की भी तालीम कफाला स्कीम के तहत एक यतीम तालिब इल्म पर सालाना ख़र्च बीस हज़ार (Rs. 20,000) रुपये 70 यतीम तलबा जिनका सारा ख़र्च इदारा ही बर्दाश्त करता है। सालाना ख़र्च 25 लाख रुपये से ज़ायद ज़रिया-ए-आमदनी मुस्लिम अवाम के चन्दे ● आप जिस शक्ल में मुमकिन हो तआवुन फ़रमा कर अल्लाह तआला से अज्र अज़ीम हासिल करें। तआवुन की शक्लें मसलन ● ज़कात ● अतियात ● सदक़ात ● पैदावार की ज़कात ● चिर्म-ए-क़ुरबानी ● एक यतीम बच्चे का सालाना ख़र्च ● बैंक (Bank) के सूद (Interest) की वह रक़म जो मुसलमानों के लिए हराम है। ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवा दें वग़ैरह।

तीन बातें याद रखें : ❶ बैंक (Bank) की वह रक़म जो बैंक से सूद (Interest) के तौर पर मिलती है, जो मुसलमानों के लिए हराम है उस रक़म को ग़रीब यतीम तलबा की जहालत दूर करने और तालीम फैलाने के लिए लड़कों के दारुल यतामा फंड में दें। ❷ यहां हर साल (Audit) भी कराया जाता है। ❸ आप इदारा में पहुंचकर मसावात का मिसाली और अमली नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस तरह यतीम और ग़ैर-यतीम बच्चे मिलकर रहा करते हैं।

नोट : इनायत आई.टी.आई. (Enayeth I.T.I.) की दुमंज़िला इमारत खड़ी हो गई है और दाख़िला जुलाई 2018 ई. से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड (Electrician Trade) से ही शुरू है। दूसरा ट्रेड फीटर (Fitter) का है। दोनों में दाख़िला 2022-2024 के लिए जारी है। यह N.C.V.T. (भारत सरकार) से मंज़ूरशुदा है। ❷ पुरफ़िज़ा मक़ाम, पुरसुकून माहौल, इस्लामी लिबास, इस्लामी यूनिफार्म और इस्लामी तालीम के साथ-साथ कम ख़र्च में बिहार बोर्ड के निसाब के साथ मेयारी तालीम। ❸ यतीम तलबा जिनके वालिद का इन्तिक़ाल हो चुका है उनके क़याम-ओ-तआम के साथ-साथ एक बेटे की तरह यहां सारी सहूलत बिल्कुल मुफ़्त दी जाती है। ❹ बैरूनी तलबा के लिए अपने ख़र्च पर होस्टल का भी नज्म है। ❺ क़ौम के मुअज़्ज़िज़ हज़रात से गुज़ारिश है कि क़ौम के यतीम बच्चों को इदारा में दाख़िल कराने के लिए ज़हमत करें और तवज्जोह दिलाएं। ❻ इनायत आई.टी.आई. (I.T.I.) में यतीमख़ाना में पढ़ने वाले यतीम तलबा का दाख़िला, तालीम मअ-तआम-ओ-क़याम और रिहाइश बिल्कुल मुफ़्त है कोई ख़र्च नहीं लिया जाता है।

इदारा आप से फ़राख़दिलाना तआवुन की अपील करता है।

आप ख़ुसूसी तवज्जोह दें : मुल्क में लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से आपका यह क़दीम इदारा माली बुहरान में मुबतला है। दुश्वारियों का सामना है। आमदनी घट कर कम हो गई है। यह साल भी मुल्क के दीनी इदारों के लिए ज़िन्दगी और मौत का सवाल बन गया है। ख़ुदारा यतीमख़ाने मदारिस और मसाजिद को बन्द होने से बचाइए। इन पर रहम कीजिए। अल्लाह आप पर रहम करेगा।

Foreign Donors ग़ैर-मुल्की चंदा दहंदगान

A/c Name : "The Gaya Muslim Orphanage"
Bank A/c No :
Bank Swift Code :
Bank :

Contact Us
For New Bank Account Details

नोट : बाहर मुल्क के हज़रात ऊपर लिखे हुए अकाउंट नम्बर पर अपनी रक़म डॉलर, रियाल और पाउंड वग़ैरह में भी भेज सकते हैं।

चेक व ड्राफ्ट पर सिर्फ यह लिखें : "The Gaya Muslim Orphanage"

बराए राबता (ख़त, चेक व ड्राफ्ट और मनी आर्डर भेजने का पता)
Hon. Secretary, The Gaya Muslim Orphanage
Cherki-824237, Distt. Gaya (Bihar) India

Indian Donors : भारतीय चंदा दहंदगान

A/c Name : The Gaya Muslim Orphanage
Bank A/c No. : 300402010010581
Bank : Union Bank of India (Main Branch, Gaya)
IFS Code No. : UBIN0530042

नोट : हिन्दुस्तानी सूबों और बाहर मुल्क में रहने वाले हज़रात हिन्दुस्तानी बैंक का चेक व ड्राफ्ट और रक़म हिन्दुस्तानी चंदा दहंदगान वाले अकाउंट नम्बर पर भेजें।

Mobile : 09801213022, 09955655960
E-mail : gmocde@yahoo.co.in / Website : www.gmogaya.in

नोट : Documentary Film - Nazr-e-Enayeth जिसमें दोनों यतीमख़ाना (Boys & Girls) की मुख़्तसर तारीख़ है, इंटरनेट You-Tube पर देखें।

नोट : रक़म कोर बैंकिंग और ऑनलाइन Online से भेजने वाले हज़रात मोबाइल या ई-मेल E-mail या डाक से मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि रक़म की रसीद रवाना की जा सके।

एज़ाज़ी नाज़िम डॉ. ज़ेड. एच. ख़ान सदर डॉ. फ़रासत हुसैन

कहानी

मोटर के छींटे

मुंशी प्रेमचन्द



प्रा:काल स्नान-पूजा से निपट, तिलक लगा, पीताम्बर पहन, खड़ाऊं पांव में डाल, बगल में पत्रा दबा, हाथ में मोटा-सा शत्रु-मस्तक-भंजन ले एक जजमान के घर चला। विवाह की साइत विचारनी थी। कम-से-कम एक कलदार का डौल था। जलपान ऊपर से। और मेरा जलपान मामूली जलपान नहीं है। बाबुओं को तो मुझे निमन्त्रित करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। उनका महीने-भर का नाश्ता मेरा एक दिन का जलपान है। इस विषय में तो हम अपने सेठों-साहूकारों के कायल हैं, ऐसा खिलाते हैं, ऐसा खिलाते हैं, और इतने खुले मन से कि चोला आनन्दित हो उठता है। जजमान का दिल देखकर ही मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूं। खिलाते समय किसी ने रोनी सूरत बनायी और मेरी क्षुधा ग़ायब हुई। रोकर किसी ने खिलाया तो क्या ? ऐसा भोजन कम-से-कम मुझे नहीं पचता। जजमान ऐसा चाहिए कि ललकारता जाय लो शास्त्रीजी, एक बालूशाही और, मैं कहता जाऊं ... नहीं जजमान अब नहीं!

रात ख़ूब वर्षा हुई थी, सड़क पर जगह-जगह पानी जमा था। मैं अपने विचारों में मगन चला जाता था कि एक मोटर छप-छप करती हुई निकल गयी। मुंह पर छींटे पड़े। जो देखता हूं, तो धोती पर मानो किसी ने कीचड़ घोलकर डाल

दिया हो। कपड़े भ्रष्ट हुए, वह अलग, देह भ्रष्ट हुई, वह अलग, आर्थिक क्षति जो हुई, वह अलग। अगर मोटर वालों को पकड़ पाता, तो ऐसी मरम्मत करता कि वे भी याद करते। मन मसोसकर रह गया। इस वेश में जजमान के घर तो जा नहीं सकता था, अपना घर भी मील-भर से कम न था। फिर आने-जाने वाले सब मेरी ओर देख-देखकर तालियां बजा रहे थे। ऐसी दुर्गति मेरी कभी नहीं हुई थी। अब क्या करोगे मन? घर जाओगे, तो पंडिताइन क्या कहेंगी ?

मैंने चटपट अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। इधर-उधर से दस-बारह पत्थर के टुकड़े बटोर लिए और दूसरी मोटर की राह देखने लगा। ब्रह्मतेज सिर पर चढ़ बैठा ! अभी दस मिनट भी न गुज़रे होंगे कि एक मोटर आती हुई दिखायी दी ! ओहो वही मोटर थी। शायद स्वामी को स्टेशन से लेकर लौट रही थी। ज्यों ही समीप आयी, मैंने एक पत्थर चलाया, भरपूर ज़ोर लगाकर चलाया। साहब की टोपी उड़कर सड़क के उस बाजू पर गिरी। मोटर की चाल धीमी हुई। मैंने दूसरा फैर किया। खिड़की के शीशे चूर-चूर हो गये और एक टुकड़ा साहब बहादुर के गाल में भी लगा। ख़ून बहने लगा। मोटर रुकी और साहब उतरकर मेरी तरफ़ आये और घूंसा तान कर बोले 'सूअर, हम तुमको पुलिस में देगा।' इतना सुनना था कि मैंने पोथी-पत्रा ज़मीन पर फेंका और साहब की कमर पकड़कर अडंगी लगाई, तो कीचड़ में भद-से गिरे। मैंने चट सवारी गांठी और गरदन पर एक पचीस रद्दे ताबड़-तोड़ जमाये कि साहब चौंधिया गये। इतने में उनकी पत्नीजी उतर आयीं। ऊंची एड़ी का जूता, रेशमी साड़ी, गालों पर पाउडर, होठों पर रंग, भंवों पर स्याही, मुझे छाते से गोदने लगीं। मैंने साहब को छोड़ दिया और डंडा सम्भालता हुआ बोला, 'देवी जी, आप मरदों के बीच में न पड़ें, कहीं चोट-चपेट आ जाए, तो मुझे दुख होगा।'

साहब ने अवसर पाया, तो सम्हल कर उठे और अपने बूटदार पैरों से मुझे एक ठोकर जमायी। मेरे घुटने में बड़ी चोट लगी। मैंने बौखलाकर डंडा उठा लिया। और साहब के पांव में जमा दिया। वह कटे पेड़ की तरह गिरे।

मेम साहब छतरी तान कर दौड़ीं। मैंने धीरे से उनकी छतरी छीनकर फेंक दी। ड्राइवर अभी तक बैठा था। अब वह भी उतरा और छड़ी लेकर मुझ पर पिल पड़ा। मैंने एक डंडा उसके भी जमाया, लोट गया। पचासों आदमी तमाशा देखने जमा हो गए। साहब भूमि पर पड़े-पड़े बोले, 'रैस्केल, हम तुमको पुलिस में देगा।' मैंने फिर डंडा संभाला और चाहता था कि खोपड़ी पर जमाऊं कि साहब ने हाथ जोड़कर कहा, 'नहीं-नहीं, बाबा, हम पुलिस में नहीं जाएगा, माफ़ी दो।'

मैंने कहा, 'हां, पुलिस का नाम न लेना, नहीं तो यहीं खोपड़ी रंग दूंगा। बहुत होगा छ: महीने की सजा हो जाएगी, मगर तुम्हारी आदत छुड़ा दूंगा। मोटर चलाते हो, तो छींटे उड़ाते चलते हो, मारे घमंड के अंधे हो जाते हो। सामने या बगल में कौन जा रहा है, इसका कुछ ध्यान ही नहीं रखते। एक दर्शक ने आलोचना की 'अरे महाराज, मोटर वाले जान-बूझकर छींटे उड़ाते हैं और जब आदमी लथपथ हो जाता है, तो सब उसका तमाशा देखते हैं। और ख़ूब हंसते हैं। आपने बड़ा अच्छा किया, कि एक को ठीक कर दिया।'

मैंने साहब को ललकार कर कहा, 'सुनता है कुछ, जनता क्या कहती है। साहब ने उस आदमी की ओर लाल-लाल आंखों से देखकर कहा, 'तुम झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है।'

मैंने डांटा-'अभी तुम्हारी हेकड़ी कम नहीं हुई, आऊं फिर और दूं एक सोंटा कसके ?'

साहब ने घिघियाकर कहा, 'अरे नहीं बाबा, सच बोलता है, सच बोलता है। अब तो ख़ुश हुआ।'

दूसरा दर्शक बोला, 'अभी जो चाहें कह दें, लेकिन ज्यों ही गाड़ी पर बैठे,

कपड़े भ्रष्ट हुए, वह अलग, देह भ्रष्ट हुई, वह अलग, आर्थिक क्षति जो हुई, वह अलग। अगर मोटर वालों को पकड़ पाता, तो ऐसी मरम्मत करता कि वे भी याद करते। मन मसोसकर रह गया। इस वेश में जजमान के घर तो जा नहीं सकता था, अपना घर भी मील-भर से कम न था। फिर आने-जाने वाले सब मेरी ओर देख-देखकर तालियां बजा रहे थे। ऐसी दुर्गति मेरी कभी नहीं हुई थी। अब क्या करोगे मन? घर जाओगे, तो पंडिताइन क्या कहेंगी ?

फिर वही हरकत शुरू कर देंगे। गाड़ी पर बैठते ही सब अपने को नवाब का नाती समझने लगते हैं।'

दूसरे महाशय बोले, 'इससे कहिए थूक कर चाटे।'

तीसरे सज्जन ने कहा, 'नहीं, कान पकड़कर उठाइए-बैठाइए।'

चौथा बोला, 'अरे ड्राइवर को भी। ये सब और बदमाश होते हैं। मालदार आदमी घमंड करे, तो एक बात है, तुम किस बात पर अकड़ते हो। चक्कर हाथ में लिया और आंखों पर परदा पड़ा।'

मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। 'ड्राइवर और मालिक दोनों ही को कान पकड़कर उठाना-बैठाना चाहिए और मेम साहब गिनें।

सुनो मेम साहब, तुमको गिनना होगा। पूरी सौ बैठकें। एक भी कम नहीं, ज्यादा जितनी चाहें, हो जाएं। दो आदमियों ने साहब का हाथ पकड़कर उठाया, दो ने ड्राइवर महोदय का।

ड्राइवर बेचारे की टांग में चोट थी, फिर भी वह बैठकें लगाने लगा। साहब की अकड़ अभी काफी थी। आप लेट गये और ऊल-जलूल बकने लगे। मैं उस समय रुद्र बना हुआ था। दिल में ठान लिया था कि इससे बिना सौ बैठकें लगवाये न छोड़ूंगा । चार आदमियों को हुक्म दिया कि गाड़ी को ढकेलकर सड़क के नीचे गिरा दो।

हुक्म की देर थी। चार की जगह पचास आदमी लिपट गए और गाड़ी को ढकेलने लगे। वह सड़क बहुत ऊंची थी। दोनों तरफ़ की ज़मीन नीची। गाड़ी नीचे गिरती और टूट-टाटकर ढेर हो जाती। गाड़ी सड़क के किनारे तक पहुंच चुकी थी, कि साहब कांखकर उठ खड़े हुए और बोले बाबा, गाड़ी को मत तोड़ो, हम उठे-बैठेगा।

मैंने आदमियों को अलग हट जाने का हुक्म दिया; मगर सबों को एक दिल्लगी मिल गयी थी। किसी ने मेरी ओर ध्यान न दिया। लेकिन जब मैं डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा तब सब गाड़ी छोड़कर भागे और साहब ने आंखें बंद करके बैठकें लगानी शुरू कीं। मैंने दस बैठकों के बाद मेम साहब से पूछा,

दूसरे महाशय बोले, 'इससे कहिए थूक कर चाटे।'

तीसरे सज्जन ने कहा, 'नहीं, कान पकड़कर उठाइए-बैठाइए।'

चौथा बोला, 'अरे ड्राइवर को भी। ये सब और बदमाश होते हैं। मालदार आदमी घमंड करे, तो एक बात है, तुम किस बात पर अकड़ते हो। चक्कर हाथ में लिया और आंखों पर परदा पड़ा।'

'कितनी बैठकें हुईं?'

मेम साहब ने रोब से जवाब दिया, 'हम नहीं गिनता।'

'तो इस तरह साहब दिन-भर कांखते रहेंगे और मैं न छोड़ूंगा। अगर उनको कुशल से घर ले जाना चाहती हो, तो बैठकें गिन दो। मैं उनको रिहा कर दूंगा।'

साहब ने देखा कि बिना दंड भोगे जान न बचेगी, तो बैठकें लगाने लगे। एक, दो, तीन, चार, पांच।

सहसा एक दूसरी मोटर आती दिखायी दी। साहब ने देखा और नाक रगड़कर बोले, 'पंडित जी, आप मेरा बाप है ! मुझ पर दया करो, अब हम कभी मोटर पर न बैठेगा। मुझे भी दया आ गया। बोला, 'नहीं, मोटर पर बैठने से मैं नहीं रोकता, इतना ही कहता हूं कि मोटर पर बैठकर भी आदमियों को आदमी समझो।'

दूसरी गाड़ी तेज़ चली आती थी। मैंने इशारा किया। सब आदमियों ने दो-दो पत्थर उठा लिये। उस गाड़ी का मालिक स्वयं ड्राइव कर रहा था।

गाड़ी धीमी करके धीरे से सरक जाना चाहता था कि मैंने बढ़कर उसके दोनों कान पकड़े और ख़ूब ज़ोर से हिलाकर और दोनों गालों पर एक-एक पड़ाका देकर बोला, 'गाड़ी से छींटा न उड़ाया करो, समझे। चुपके से चले जाओ।'

यह महोदय बक-झक तो करते रहे; मगर एक सौ आदमियों को पत्थर लिये खड़ा देखा, तो बिना कान-पूंछ डुलाये चलते हुए। उनके जाने के एक ही मिनट बाद दूसरी गाड़ी आयी। मैंने 50 आदमियों को राह रोक लेने का हुक्म दिया। गाड़ी रुक गयी। मैंने उन्हें भी चार पड़ाके देकर विदा किया; मगर यह बेचारे भले आदमी थे। मजे से चांटें खाकर चलते हुए।

सहसा एक आदमी ने कहा, 'पुलिस आ रही है।'

और सब-के-सब हुर्र हो गये ! मैं भी सड़क के नीचे उतर गया और एक गली में घुसकर ग़ायब हो गया !

■■

गठिया रोग

दे सकता है कई अन्य बीमारियों को न्योता



सेहत



संपादन प्रभाग

मानव शरीर में विभिन्न तरह के जोड़ उपस्थित हैं जो दो या उससे अधिक हड्डियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इन जोड़ों में दर्द या कुछ अन्य समस्याओं के कारण हमारे राज़मर्रा के कामों में बाधाएं आ सकती हैं। हम बात कर रहे हैं गठिया रोग के बारे में, जो हमारे जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है।

क्या है गठिया रोग?

गठिया रोग एक ऐसी अवस्था है, जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोग परेशान हैं। अंग्रेज़ी में इसे आर्थराइटिस (Arthritis) के नाम से जाना जाता है। यह रोग जोड़ों में सूजन और दर्द पैदा कर देता है। यह रोग घुटनों में दर्द और अकड़न पैदा कर देता है और आमतौर पर अधिक आयु के लोगों में पाया जाता है, लेकिन आज के दौर में बदलती जीवनशैली की वजह से यह रोग युवाओं में भी देखा जा रहा है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अंदर यह शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है, ख़ासतौर से वे जिनका वज़न ज़्यादा हो। इसकी शुरुआत शरीर के किसी भी जोड़ से हो सकती है और समय के साथ-साथ यह शरीर के बाक़ी जोड़ों को भी प्रभावित कर सकता है।

गठिया रोग के कारण

• गठिया रोग का कोई एक मुख्य कारण नहीं है, बल्कि कई गतिविधियों से इसके उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे कि-हमारे शरीर में जोड़ों में एक नर्म और लचीला टिशु होता है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। जब हम चलते हैं तो जोड़ों पर दबाव पड़ता है। ऐसे में कार्टिलेज प्रेशर और शॉक को अवशोषित कर हमारे जोड़ों की सुरक्षा करता है। जब व्यक्ति को गठिया रोग जैसी बीमारी होती है, तो ऐसे समय में कार्टिलेज की मात्रा में कमी हो जाती है जिस वजह से एक हड्डी दूसरी हड्डी से रगड़ती है और कुछ परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं।

• यदि आपके परिवार में किसी

व्यक्ति में गठिया रोग की शिकायत पाई जा रही है, तो मुमकिन है कि यह बीमारी अन्य व्यक्तियों में भी पाई जाए।

• मोटापा भी गठिया रोग होने की संभावनाएं बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए कि मोटापे की वजह से शरीर के जोड़ ज़्यादा वज़न नहीं सह पाते और जोड़ों में दर्द या सूजन की समस्याएं हो जाती हैं।

गठिया के लक्षण

• ***जोड़ों में दर्द-***गठिया रोग का सबसे प्रमुख लक्षण है जोड़ों में दर्द होना। आमतौर पर कुछ गतिविधियों के बाद हमें जोड़ों में दर्द की अनुभूति होती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें गठिया रोग है। जब जोड़ों में दर्द कुछ दिन या हफ़्तों में ठीक न हो और चलते-फिरते या उठते-बैठते दर्द होने लगे तो हमें चाहिए कि किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। कई बार गठिया रोग से ग्रस्त लोगों के प्रभावित अंग लाल भी पड़ जाते हैं।

• ***सूजन का उत्पन्न होना-***हमारे शरीर के विभिन्न जोड़ों में दर्द की अनुभूति हो सकती है, लेकिन अगर बात करें गठिया रोग की, तो एक व्यक्ति ख़ासतौर से घुटने, कंधे, कूल्हे और हाथ में दर्द का अनुभव कर सकता है। अगर किसी को रूमेटाइड आर्थराइटिस बताया गया है, तो ऐसी स्थिति में थकान महसूस हो सकती है और इसके अलावा प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्युनिटी सिस्टम) कमज़ोर होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दर्द के बाद गठिया रोग का सबसे बड़ा लक्षण जोड़ों में सूजन है।

• ***अन्य लक्षण-***गठिया रोग कई तरह की दिक़्क़तों को बढ़ावा दे सकती है। जैसे कि बात करें एनीमिया की, यह अवस्था शरीर में ख़ून की मात्रा को कम कर देती है। साथ ही गठिया का प्रभाव जब ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे मौक़े पर व्यक्ति को बुख़ार भी आ सकता है।

गठिया के दुष्प्रभाव

दर्द-इस अवस्था में विभिन्न प्रकार का दर्द होता है। यहां तक कि कभी-कभी व्यक्ति अपना दैनिक कार्य करने में भी असमर्थ हो जाता है।

• ***हड्डियों का कमज़ोर होना-***अगर किसी व्यक्ति में गठिया रोग की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसके शरीर की हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती है। ऐसा होने पर विभिन्न परिस्थितियों, जैसे हाथ-पैर में सूजन, जोड़ों में दर्द और उठने-बैठने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।



• ***अन्य बीमारियों का ख़तरा-***कई बार गठिया रोग की वजह से व्यक्ति के शरीर में अन्य बीमारियों के लक्षण भी पैदा हो सकते हैं, जैसे कि कार्पल टनल सिंड्रोम, दिल के दौरे का जोखिम, फेफड़े, आंखों और हृदय में सूजन, आदि।

जांच एवं इलाज

याद रखें, जोड़ों में दर्द की समस्या कई परेशानियों को बढ़ावा दे सकती है। इसलिए कोशिश करें कि हालात बिगड़ने से पहले आप सही इलाज प्राप्त कर लें। अगर आप डॉक्टर से परामर्श लेते हैं तो वो शारीरिक परीक्षा से जांच करके स्थिति देख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर कुछ टेस्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि-

लैब टेस्ट-ख़ून की जांच, पेशाब (मूत्र) की जांच, या जॉइंट फ्लूइड।

इमेजिंग टेस्ट-एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउण्ड।

गठिया रोग का ऐसा कोई भी इलाज नहीं मिल पाया है जिसकी मदद से इस पर पूर्ण रूप से विराम लग जाए। गठिया रोग जैसी परिस्थितियों में समय पर उपचार बेहद ज़रूरी है। इस क़दम से हालात को बदतर होने से पहले रोका जा सकता है। साथ ही जोड़ों पर होने वाली हानि को भी कम किया जा सकता है।

शुरुआती दौर में डॉक्टर आपको विभिन्न तरह की दवाइयां लेने की सलाह दे सकते हैं। यह दवाइयां गठिया के प्रकार पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के तौर पर दर्द कम करने वाली दवाइयां, नॉन स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाइयां, काउंटर इरिटेंट्स आदि। इसके अलावा शारीरिक चिकित्सा का इस्तेमाल गठिया रोग के इलाज के लिए किया जा सकता है। डॉक्टर मरीज़ को व्यायाम करने की सलाह दे सकते हैं।

उपचार से मरीज़ को फ़ायदा नहीं पहुंचता, तो डॉक्टर सर्जरी की सलाह भी दे सकते हैं। गठिया रोग के लक्षण कभी बद से बदतर भी हो जाते हैं और दर्द असहनीय हो जाता है। ऐसे समय में डॉक्टर्स को एडवांस उपचार की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे समय

में सबसे लोकप्रिय सर्जरी है घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी। इस सर्जरी में जो जोड़ ख़राब हो जाता है, उसे हटाकर उसकी जगह एक कृत्रिम जोड़ लगा दिया जाता है। यह कृत्रिम जोड़ वास्तविक जोड़ की तरह काम करता है। इस प्रकार के इलाज की बदौलत व्यक्ति को दर्द में भी आराम मिलता है साथ ही साथ चलने फिरने और उठने-बैठने में भी आसानी हो जाती है। आमतौर पर यह सर्जरी घुटनों, कुल्हे एवं कंधे के जोड़ों के लिए काम में आती है।

ज्वाइंट फ्यूजन सर्जरी भी ऐसी परिस्थितियों में उपयोगी साबित हो सकती है। इस सर्जरी में दो हड्डियों को आपस में जोड़ दिया जाता है जिससे वो एक मज़बूत हड्डी में परिवर्तित हो जाती है। यह हड्डी ज़्यादा स्थिर रहती है और दर्द को कम करने में उपयोगी साबित होती है। इसके अलावा कुछ अन्य विकल्प भी हैं जो गठिया रोग के इलाज में मदद कर सकते हैं। जैसे कि एक्यूपंचर, योग, मालिश आदि।

सावधानियां

संतुलित आहार को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। यदि आप ऐसा करते हैं, तो यह गतिविधि गठिया रोग जैसी समस्याओं से आपको दूर रख सकती है। उचित आहार के साथ-साथ स्वस्थ जीवनशैली-ये दो ऐसे माध्यम हैं जिन्हें अपनाने से आप कई परेशानियों से दूर रह सकते हैं।

ज़्यादा ठंडे पदार्थ खाने से परहेज़ करें। मैदा युक्त पदार्थ जैसे बिस्किट्स, स्नैक्स, चिप्स आदि से भी दूर रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि मैदा फैट को बढ़ावा देता है और पेट में गैस बनाने का काम करता है, जिससे आपको तकलीफ़ हो सकती है। कैफीन का अधिक इस्तेमाल करने से बचें। घी या तेल से बने पदार्थ और डीप फ्राइड भोजन के सेवन से भी अपने आपको दूर रखें। इसके अलावा ज़्यादा नमक और शक्कर खाने से भी बचें। जो व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं वे इस आदत से दूर रहने की कोशिश करें। अन्यथा उन्हें गठिया रोग में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ■■





करियर

संपादन प्रभाग

सूचना एवं प्रौद्योगिकी दुनिया भर में सबसे तेज़ी से विकसित हुआ क्षेत्र है और इसमें लगातार नित नई खोज एवं आविष्कार हो रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र में जिस प्रकार से सोचा जा रहा था कि इसके बढ़ने से रोज़गार कम होंगे उसके उलट इसने रोज़गार की अनंत संभावनाओं को पैदा किया गया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। देश में हर साल लाखों बच्चे इंजीनियरिंग कोर्स करते हैं, लेकिन आईटी सेक्टर में भी मौक़े ज़्यादा होने के बावजूद नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। बहुत से कॉलेज तो स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट तक नहीं करा पाते हैं। आईटी में कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जिनकी डिमांड मार्केट में तेज़ी से बढ़ रही है। इन कोर्सेज की ख़ास बात ये है कि इसके ज़रिये नौकरी पाने के लिए ज़्यादा मशक़्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आइए डालते हैं ऐसे ही कुछ ख़ास आईटी कोर्सेज पर एक नज़र, जिनके ज़रिये जल्द मिलेगी जॉब।

1. एमएस ऑफ़िस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम : कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जगत में माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी एप्लिकेशन है जो किसी भी ऑफ़िस के काम को आसान बना देती है। इसके अंतर्गत कई तरह की एप्लिकेशन उपयोग की जाती हैं जो कि रोज़मर्रा के ऑफ़िस एवं दुकान बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल आदि में उपयोग की जाती हैं जैसे-एमएस वर्ड, एमएस एक्सल, एमएस एक्सेस और एमएस पावर प्वाइंट। एमएस ऑफ़िस सर्टिफीकेशन प्रोग्राम छात्रों को उल्लेख किए गए एप्लिकेशन को कार्यालय गतिविधियों के लिए उपयोग करना सिखाता है जिससे कोर्स पूरा करने के बाद कार्यालयों में कंप्यूटर से जुड़ी नौकरियां आसानी से मिल जाती हैं।

2. डीटीपी कोर्स : डीटीपी यानी डेस्क टॉप पब्लिशिंग भी कहा जाता है। सभी तरह के बैनर, कार्ड, किताबें, पुस्तक कवर, मैनुअल, ब्रोशर आदि बनाने में कंप्यूटर एप्लिकेशन का प्रयोग करना सिखाता है। संक्षेप में दस्तावेज़ों

के लेआउट, डिज़ाइन, ग्राफ़िक्स आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एडोब फ़ोटोशॉप, एडोब पेजमेकर और कोरल ड्रा के रूप में उपयोगी सॉफ्टवेयर के बारे में ज्ञान भी दिया जाता है। डीटीपी कोर्स से कई ग्राफ़िक्स और छवि संपादन नौकरियां मिल सकती हैं।



3. फ़ोटोशॉप : फोटोशॉप क्यों सीखना चाहिए इसके कारणों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। फ़ोटोशॉप एक करियर आधारित कोर्स है जिसमें कुशल होकर पेशेवर ग्राफ़िक्स बनाने का काम कर सकते हैं। आपके रेज्युमे की वैल्यू बढ़ाने के साथ-साथ इस कला में महारत आपकी कल्पना विचार शक्ति बढ़ाती है। कोई भी इमेज बनाने या उसे संशोधित करने या कुछ कंपनी के लोगों को डिज़ाइन करने के लिए इस कला का उपयोग किया जा सकता है।

4. टैली : टैली (Tally) सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक एकीकृत व्यापार सॉफ्टवेयर तथा वित्तीय वक्तव्यों, वाउचर एवं टैक्सेसन आदि व्यापार की ज़रूरतों के लिए उपयोग किया जाता है। टैली खुदरा व्यापार (रिटेल) के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर है। टैली के चार उपउत्पाद मार्केट में उपलब्ध हैं-टैली ईआरपी-9, टैल डेवलपर, टैली सर्वर तथा शॉपर-9। यह सरकारी कामकाज और लेखा उद्देश्य के लिए बहुत उपयोगी है। टैली सीखने के बाद आप एक खाता कार्यकारी, कर लेखाकार, खाता प्रबंधक, कार्यालय कार्यकारी आदि पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

5. कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस : जो लोग सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा नहीं जानना चाहते वे इस कोर्स में जा सकते हैं।

इस में मुख्य रूप से हार्डवेयर रख-रखाव, कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों, आम समस्याओं और मरम्मत के काम से संबंधित जानकारी दी जाती है। छात्रों को प्रिंटर, मॉनिटर, माउस आदि हार्डवेयर के बारे में बताया जाता है तथा कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित मरम्मत का काम सिखाया जाता है। कई कोर्स हार्डवेयर और नेटवर्किंग दोनों विषयों को भी पाठ्यक्रम में कवर करते हैं।

6. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स : सरल शब्दों में, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। बहुत सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं के मौजूद होने के कारण उन सबको यहां की सूची में शामिल करना मुश्किल है हालांकि कुछ लोकप्रिय और सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में C, C++, Java, Python, JavaScript, ASP.NET, Perl, Ruby, PHP, SQL आदि आती हैं। एक प्रोग्रामिंग भाषा सीखना काफ़ी लाभदायक हो सकता है क्योंकि इससे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की नौकरी के साथ-साथ सॉफ्टवेयर परीक्षक, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों में आसानी से नौकरी मिल सकती है।

7. एनिमेशन और मल्टीमीडिया कोर्स : एनिमेशन और मल्टीमीडिया इन दिनों विशेषज्ञता का एक क्षेत्र बन गया है और ग्राफ़िक्स डिजाइन क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। आज के समय में अधिक से अधिक छात्र एनिमेशन और मल्टीमीडिया को एक विशेषज्ञता कोर्स के रूप में कर रहे हैं। एनिमेशन और मल्टीमीडिया पाठ्यक्रम में वीएफएक्स (VFX) और वीएफएक्स प्रो, एनीमेशन, फ़िल्म डिज़ाइन और एनिमेशन, खेल डिज़ाइन और एनिमेशन, मल्टीमीडिया डिजाइन आदि विषयों की मूल बातें सिखाई जाती हैं। कोर्स पूरा करने के बाद वीएफएक्स व्यावसायिक, एनीमेशन फ़िल्म व्यावसायिक, दृश्य प्रभाव

कलाकार, प्रशिक्षक, व्यावसायी, विज्ञापन एजेंसियां, कला और क्रिएटिव डायरेक्टर, डिजिटल प्रकाशन कंपनियों, ई-वाणिज्य क्षेत्र आदि में नौकरी पायी जा सकती है।

8. साइबर सिक्योरिटी कोर्स: आजकल अधिकांश काम जैसे की बैंकिंग, बिलों का भुगतान, शॉपिंग आदि ऑनलाइन किये जाते हैं क्योंकि लोगों के लिए घर बैठकर काम करना सुविधाजनक है। लेकिन वे इस सबसे भारी सुरक्षा के ख़तरों का सामना भी कर रहे हैं, क्योंकि साइबर अपराधों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है। साइबर सुरक्षा पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन लोगों और व्यावसायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीक़ों की जानकारी दी जाती है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको कंप्यूटर सिस्टम के एक सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में काम पर रखा जा सकता है। आप एक नैतिक हैकर या सुरक्षा लेखा परीक्षक के रूप में स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकते हैं।

सॉफ्टवेयर टेस्टिंग : सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स इस समय देश में कुछ एक सबसे चर्चित कोर्सेज में से एक है, जोकि आपको आईटी सेक्टर में जल्द नौकरी दिला सकता है। इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है कि कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप होने से पहले और डेवलप किए जाने के बाद टेस्ट किया जाता है।

नेटवर्किंग : ऑफ़िसों में कंप्यूटरों और सर्वर की संख्या के बढ़ने के चलते दुनिया भर में नेटवर्क इंजीनियर्स की मांग भी दिन-प्रतिदिन तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ज़ाहिर-सी बात है जब तक दुनिया में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता रहेगा, तब तक मार्केट में नेटवर्क इंजीनियर की डिमांड बनी रहेगी। इस कोर्स में आपको नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग डिवाइसेज, नेटवर्क को कैसे हैंडल करें, आदि सिखाया जाता है।

डीबीए कोर्स : डीबीए कोर्स यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कोर्स थोड़ा टेक्निकल है और प्रोग्रामिंग से संबंधित है। अगर आपका प्रोग्रामिंग या फिर डेटा बेस में इंट्रेस्ट है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको डेटाबेस कॉन्सेप्ट, क्वेरी लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर का बैकएंड कैसे तैयार किया जाए जैसी चीज़ें सिखाई जाती हैं।

एनालिस्ट : दुनिया भर में मौजूदा समय में एनालिस्ट की जॉब सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल और डिमांड में है। आप डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट या फिर डोमेन एनालिस्ट बनकर मोटी सैलरी पा सकते हैं। इसके अलावा अगर एनालिस्ट की ही फील्ड में कुछ हट कर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास अलग-अलग तरह का एनालिस्ट बनने का विकल्प भी मौजूद है।

फोटोशॉप क्यों सीखना चाहिए इसके कारणों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। फ़ोटोशॉप एक करियर आधारित कोर्स है जिसमें कुशल होकर पेशेवर ग्राफ़िक्स बनाने का काम कर सकते हैं। आपके रेज़्युमे की वैल्यू बढ़ाने के साथ-साथ इस कला में महारत आपकी कल्पना विचार शक्ति बढ़ाती है। कोई भी इमेज बनाने या उसे संशोधित करने या कुछ कंपनी के लोगों को डिज़ाइन करने के लिए इस कला का उपयोग किया जा सकता है।

अन्य कम्प्यूटर कोर्स

कुछ अन्य अल्पावधि कंप्यूटर कोर्स भी समय-समय पर विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों इत्यादि के द्वारा कराये जाते हैं जिनको करके छात्र बेहतरीन नौकरी के अवसर प्राप्त कर सकते हैं :

डाटा खनन और विश्लेषण

साइबर सुरक्षा और एथिकल हैकिंग (Cyber security and Ethical Hacking)

आरडीबीएमएस (रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम) RDBMS (Relational Database Management System)

वेब डिजाइनिंग–(Web Designing)

आईटी में डिप्लोमा (Diploma in Information Technology)

कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा (Diploma in Computer Science)

डाटा एंट्री ऑपरेटर

कम्प्यूटरीकृत लेखा (COMPUTERIZED ACCOUNTING)

कम्प्यूटर एडेड डिजाइन और ड्राइंग (CADD)

डिजिटल मार्केटिंग। ■■

नैतिक चेतना और भौतिकवादी दृष्टिकोण



आख़िरी पन्ना



मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ां

आज के युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। ऐसा युग जिसमें अंधविश्वास के लिए कोई स्थान न हो जिसमें हर चीज़ को समझ कर और उसे व्यवहार की कसौटी पर कसकर ही उसके विषय में कोई फ़ैसला किया जाता है और इस सिलसिले में किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात से काम नहीं किया जाता, लेकिन हम देखते हैं कि इस वैज्ञानिक युग में भी वह सब कुछ होता है जिसकी कल्पना किसी अंधकार युग में ही की जा सकती है।

आज किसी बात के जानने और उसको समझने के लिए जो सुविधाएं और आसानियां उपलब्ध हैं शायद वे इससे पहले कभी उपलब्ध न रही होंगी, फिर भी सच्चाई को निष्पक्ष भाव से समझना और उसे अपना समर्थन देना कोई सहज कार्य नहीं है। हम एक-दूसरे से इतने भयभीत और बदगुमान हैं कि हमें यह विश्वास नहीं होता कि जीवन में कहीं से कोई आवाज़ ऐसी भी सुनाई दे सकती है जिसके पीछे कोई धोखा-धड़ी और निजी स्वार्थ काम न कर रहा हो बल्कि वह नितांत पवित्र और निष्कलंक हो।

यहां हम इस्लाम धर्म के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। इस्लाम जितना स्पष्ट बुद्धिसंगत और हृदय को छूने वाला धर्म है उतना ही वह आज अपरिचित दीख पड़ता है। ढेरों ग़लतफ़हमियां और शंकाएं उसके विषय में पैदा कर दी गई हैं। कितनी ही भ्रामक और गुमराह करने वाली चीज़ें उसके साथ जोड़ दी गई हैं और यह दुष्प्रयास आज से नहीं सैकड़ों वर्ष से जारी है। फिर भी इस घोर अंधकार में अपनी और दूसरों की अंतरात्मा को आवाज़ देना हमारा कर्तव्य है। हम निराश होकर बैठ नहीं सकते। कभी तो मनुष्य अपने आप से निकट होगा और उसे सत्य की आवाज़ सुनाई देगी। इस्लाम की आवाज़ और मनुष्य के अंतरात्मा की आवाज़, दो नहीं एक है। मनुष्य यदि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने में सक्षम हुआ तो इस्लाम को समझना उसके लिए कुछ मुश्किल न रहेगा।

इस्लाम का अध्ययन कई पहलुओं से किया जा सकता है। उदाहरणार्थ ''मानव जीवन में इस्लाम की सार्थकता,'' ''सफल-जीवन इस्लाम

की दृष्टि में,'' ''विभिन्न धर्मों के मध्य इस्लाम की विशिष्टता,'' ''मानव चिंतन पर इस्लाम का प्रभाव,'' ''जीवन की नैतिक मान्यताएं और इस्लाम की शिक्षा,'' आदि। यहां हम केवल इस्लाम के नैतिक दृष्टिकोण के विषय में कुछ कहना चाहेंगे।

मनुष्य में पाई जाने वाली नैतिक चेतना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि उसको समझने के लिए भौतिकवादी दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है। मानव भौतिक तत्वों के अतिरिक्त भी कुछ है और यह कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण है यही अतिरिक्त उसे सामान्य जीव-जंतुओं से अलग एक विशिष्टता प्रदान करता है। यह अतिरिक्त हमारे चिंतन के लिए ऐसा आधार सिद्ध होता है कि परमात्मा या जगत्-नियंता की धारणा हमारे लिए प्रत्यक्ष सत्य का रूप धारण कर लेती है। चेतना, विशेष रूप से नैतिक चेतना का स्रोत कोई जीवंत सत्ता ही हो सकती है। निर्जीव पदार्थ आदि में इसका स्रोत तलाश करना सबसे बड़ी मूर्खता की बात होगी।

जीवन के लिए नैतिक चेतना वह पवित्र, सूक्ष्म और सुंदर उपहार है जिसकी तुलना अन्य किसी सुंदरता से नहीं की जा सकती। हम जानते हैं कि नैतिक चेतना का गहरा और व्यापक दृष्टिकोण हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को अपनी सीमा में ले लेता है। जीवन के किसी भी पहलू को इसकी सीमा से अलग नहीं किया जा सकता।

यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने पैदा करने वाले ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और जीवन में उनका पालन करें। हमें चाहिए कि हम प्रत्येक अवस्था और हरेक मामले में अपने दायित्व को जाने और कदापि उसकी उपेक्षा न करें।

इस्लाम की शिक्षाओं की विशेषता भी यही है कि वह विचारों एवं धारणाओं से लेकर व्यावहारिक जीवन की छोटी-बड़ी हर चीज़ को नैतिक मूल्यों के प्रकाश में ही देखता है। इस बुनियादी बात को यदि हम अपने सामने रखें तो इस्लामी शिक्षाओं और इस्लाम के निर्देशों का मूल्यांकन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा।

जीवन में नैतिक दायित्वों का निर्वाह कोई सरल कार्य नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे दृष्टिकोण में व्यापकता हो और हमारा हृदय अत्यंत विशाल हो। इसके बिना न तो हम इस्लामी शिक्षाओं के महत्व का अनुमान कर सकते हैं और न उन शिक्षाओं का पालन ही सुचारू रूप से संभव हो सकता है।

एक विशाल और भव्य भवन का नक़्शा किसी कंगाल और दरिद्र व्यक्ति के मन में कदापि नहीं आ सकता और न कभी वह ऐसे भवन के निर्माण की बात सोच सकता है। इसलिए मनुष्य की सफलता के लिए अनिवार्य है कि वह किसी प्रकार की तंगदिली का शिकार न हो। क़ुरआन ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है–

''जो लोग अपनी मनःस्थिति में लोभ एवं कृपणता से बचे रहे वही लोग सफलता प्राप्त करने वाले हैं।'' (59:9)

ईश्वर के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्स.) का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है :

'आस्थावान व्यक्ति (मोमिन) में दो चीज़ें एकत्र नहीं हो सकती कृपणता और दुराचरण।' (अहमद)

इस्लाम की समस्त शिक्षाएं मानव प्रकृति की परिचायक हैं। अतः वह हमारे लिए दुस्साध्य और अप्रिय नहीं हो सकतीं। यह अलग बात है कि हम अपनी प्रकृति और अपने वास्तविक स्वभाव से दूर हो जाएं और हितकर बातों को अहितकारी समझने लगें।



जीवन में नैतिक दायित्वों का निर्वाह कोई सरल कार्य नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे दृष्टिकोण में व्यापकता हो और हमारा हृदय अत्यंत विशाल हो। इसके बिना न तो हम इस्लामी शिक्षाओं के महत्व का अनुमान कर सकते हैं और न उन शिक्षाओं का पालन ही सुचारू रूप से संभव हो सकता है।

इस्लामी शिक्षाओं के अनुपालन का अर्थ वास्तव में अपनी अंतरात्मा और अपने व्यक्तित्व को विकसित करना है। इसके अतिरिक्त इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। इस्लामी शिक्षाओं का अनुपालन हमारे अपने स्वाभाविक चरित्र के अनुकूल भी है और इसी के अनुपालन से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण उसकी रक्षा और उसका विकास भी संभव है।

मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके ईमान और उसकी नैतिकता का परिचायक हो, यही इस्लाम में अभीष्ट है। अल्लाह (ईश्वर) के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने कहा है ईमान (अर्थात् आस्था सम्मत नैतिक मान्यताओं) के सत्तर से अधिक स्तर हैं। उनमें सबसे ऊंचा स्तर यह कहना है कि ''अल्लाह के सिवा कोई बंदगी और उपासना के योग्य नहीं और उनमें (स्तरों) सबसे छोटा स्तर यह है कि रास्ते से (कांटा-पत्थर आदि) कष्टदायक चीज़ों को हटा दिया जाए। लज्जा भी ईमान की शाखाओं में से एक शाखा है।

(बुख़ारी, मुस्लिम)

आप (सल्ल.) ने कहा है : ''ईश्वर (अल्लाह) उस व्यक्ति पर दया नहीं दर्शाता जो लोगों पर दया नहीं करता।'' (बुख़ारी, मुस्लिम)

सार यह है कि इस्लाम में धर्म- परायण होने के लिए सिर्फ़ इतना ही काफ़ी नहीं है कि आदमी अपना संबंध ईश्वर से ठीक रखें, बल्कि इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि हमारे संबंध लोगों से भी अच्छे और मधुर हों। वास्तव में आपसी संबंधों को ठीक रखने और उनका हक़ पहचानने ही का नाम इस्लाम है।

काश! दुनिया इस सीधी-सच्ची बात को समझ सकती है।

■■

मनुष्य में पाई जाने वाली नैतिक चेतना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि उसको समझने के लिए भौतिकवादी दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है। मानव भौतिक तत्वों के अतिरिक्त भी कुछ है और यह कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण है यही अतिरिक्त उसे सामान्य जीव-जंतुओं से अलग एक विशिष्टता प्रदान करता है। यह अतिरिक्त हमारे चिंतन के लिए ऐसा आधार सिद्ध होता है कि परमात्मा या जगत्-नियंता की धारणा हमारे लिए प्रत्यक्ष सत्य का रूप धारण कर लेती है। चेतना, विशेष रूप से नैतिक चेतना का स्रोत कोई जीवंत सत्ता ही हो सकती है। निर्जीव पदार्थ आदि में इसका स्रोत तलाश करना सबसे बड़ी मूर्खता की बात होगी।



KANTI Monthly, New Delhi
NOVEMBER 2022
Posted on 20-21 October 2022
Published on 18 October 2022
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

71/13, Topsia Road (South) , Kolkata 700046 (Near Millat Nagar Masjid)
Phone : 033 4005 1991, 4004 8409, 98302 60516

Email : geniusnationalschool@gmail.com www.geniusnationalschool.com

